छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित
ए-25, वी.आई.पी. एस्टेट, वी.आई.पी. क्लब के सामने, रायपुर - 492007
दूरभाष- 4065100 से 4065110 फैक्स - 2283594 ई-मेल : cgmfpfed@sancharnet.in
वेबसाईट : www.cgmfpfed.org

अधिसूचना क्रमांक ते.प.(2010) - I दिनांक 01.12.2009

छत्तीसगढ़ में वर्ष 2010 तेंदूपत्ता सीजन में संग्रहित होने वाले तेंदूपत्ते के अग्रिम विक्रय हेतु

निविदा सूचना

प्राक्कथन

- छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, (जिससे इसके पश्चात् शासन कहा गया है), ने छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर, (जिससे इसके पश्चात् संघ कहा गया है), को राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में तेन्दूपत्ता के संग्रहण, क्रय एवं व्यापार हेतु, छत्तीसगढ़ तेन्दूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1964 की धारा 4 के अंतर्गत अभिकर्ता नियुक्त किया है ।

- शासन के द्वारा वर्ष 2010 सीजन में संघ को अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य की प्राथमिक वनोपज सहकारी संस्थाओं (जिसे इसके पश्चात् प्राथमिक समिति कहा गया है), जिनमें राज्य शासन एक अंशधारक है, के माध्यम से संबंधित प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों (जिसे इसके पश्चात् समिति कहा गया है), के क्षेत्रों में तेन्दूपत्तों का, जिला वनोपज सहकारी यूनियन (जिसे इसके पश्चात् जिला यूनियन कहा गया है), के पर्यवेक्षण में, संग्रहण कराने के निर्देश दिए गए हैं,

- शासन के आदेशानुसार, संग्राहकों द्वारा संग्रहण केन्द्र अर्थात् फड़ पर (अ) शासकीय वन भूमि से तथा (ब) निजी तेन्दूपत्ता उत्पादक क्षेत्र द्वारा लाए गए तेन्दूपत्ते के लिए, राज्य शासन द्वारा निर्धारित क्रमशः (अ) प्रति मानक बोरे की संग्रहण दर (मजदूरी) तथा (ब) प्रति मानक बोरे का क्रय मूल्य समिति के द्वारा देकर तेन्दूपत्ता संग्रहित किया जायेगा और इस तेन्दूपत्ते को हरी हालत में प्राथमिक वनोपज समिति के द्वारा तत्संबंधित समिति के लिये नियुक्त अधिकृत क्रेता को परिदान दिया जावेगा तथा क्रेता के द्वारा परिदत्त पत्ते का उपचारण, परिवहन एवं गोदामीकरण आदि उसके स्वयं के व्यय पर किया जावेगा ।

अतएव अब संघ छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा उनकी ओर से उक्त संग्रहित होने वाले तेंदूपत्ते के क्रय के लिए इच्छुक व्यक्तियों/पंजीकृत फर्मों / विधिक कंपनियों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित करता है । निविदा सूचना (परिशिष्ट I से VII तक तथा अनुसूची क तथा ख सहित) संघ की वेबसाईट **www.cgmfpfed.org** से निम्नानुसार तिथि से डाउनलोड किये जा सकते हैं :-

परिशिष्ट-I
(निबंधन एवं शर्तें)

निविदा चक्र	निविदा प्रस्तुत करने की तिथि	जिस तिथि से निविदा सूचना डाउनलोड की जा सकती हैं
प्रथम	03.01.2010	15.12.2009
द्वितीय	19.01.2010	15.01.2010
तृतीय	02.02.2010	27.01.2010

2. **परिभाषायें, निविदा के निबंधन एवं शर्तें तथा निविदाकारों के लिए निर्देश -**

परिशिष्ट-I (निबंधन एवं शर्तें)

इस सूचना, इसकी अनुसूची एवं इसके विभिन्न परिशिष्टों में प्रयोग में लाये गये विभिन्न शब्दों एवं अभिव्यक्तियों की परिभाषायें, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो परिशिष्ट- I में सम्मिलित "निविदा के निबंधन एवं शर्तें तथा निविदाकारों के लिए निर्देश", में दिए गए अनुसार होंगी । ये "निविदा के निबंधन एवं शर्तें तथा निविदाकारों के लिए निर्देश" इस निविदा सूचना के अभिन्न अंग हैं और यह समझा जावेगा कि इस सूचना में समस्त प्रयोजनों के लिये सम्मिलित हैं ।

3. **लाट लिस्ट एवं करार अवधि -**

अनुसूची (तेंदूपत्ता की लाट सूची)

विभिन्न समितियों से संग्रहित/क्रय की जाने वाली मात्रा के एवं इस सूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दर्शित तेंदूपत्ते के लाटों के क्रय के लिये दिनांक 31.03.2011 को समाप्त होने वाली करार अवधि के लिये एतद् द्वारा निविदायें आमंत्रित की जाती है ।

4. **निविदा पत्र आदि -**

परिशिष्ट-II (निविदा पत्र)
परिशिष्ट-III (निविदाकार करारनामा)

(I) निविदा पत्र तथा निविदाकार का करारनामा संघ की ऊपर दर्शित वेबसाइट से प्राप्त किये जा सकते हैं । निविदा पत्र तथा निविदाकार का करारनामा किसी भी कार्यालय में उपलब्ध नहीं होंगे ।

(II) निविदाकार स्वयं यह सत्यापित एवं सुनिश्चित करेगा कि उसने निविदा पत्र के साथ निविदाकार का करारनामा प्राप्त कर लिया है क्योंकि निविदा के साथ सम्यक् रुप से निष्पादित निविदाकार का करारनामा संलग्न करना अनिवार्य है । आवश्यक अभिलेख डाउनलोड कर लेने का पूर्ण उत्तरदायित्व निविदाकार का है ।

5. **निविदाओं का प्रस्तुतिकरण -**

(I) उन सभी निविदाकारों को, जिन्हें स्थाई निविदाकार क्रमांक (पी.टी.एन.) म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ या छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा आवंटित किया गया है एवं इस स्थाई निविदाकार क्रमांक की सूचना उनको क्रेता नियुक्ति आदेश/सत्यंकार राशि वापसी पत्र के द्वारा दी गई थी, आवंटित स्थाई निविदाकार क्रमांक निविदा पत्र के प्रथम पृष्ठ पर ऊपरी दांये कोने में अंकित करना होगा । जिन निविदाकारों को स्थाई निविदाकार क्रमांक (पी.टी.एन.) आवंटित नहीं हुआ है, उनको स्थाई निविदाकार क्रमांक अंकित करने की आवश्यकता नहीं है ।

(II) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139**A के** अनुसार सभी निविदाकारों को स्थाई आयकर क्रमांक (PAN) निविदा पत्र में अंकित एवं PAN कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है । स्थाई आयकर क्रमांक (PAN) निविदा पत्र के प्रथम पृष्ठ पर ऊपरी दांये कोने में अंकित करना होगा ।

(III) सभी दृष्टियों से पूर्ण निविदा एक मुहरबंद लिफाफे में, जिस पर निम्न विवरण एवं पता लिखा होगा, रखी जावेगी ।

वर्ष 2010 में संग्रहित होने वाले तेंदूपत्ता के अग्रिम क्रय करने हेतु निविदा ।

(निविदा सूचना क्रमांक ते.प.-(2010)-I दिनांक 01.12.2009)

प्रथम चक्र के निविदा हेतु - निविदा खोलने की तिथि 04.01.2010
द्वितीय चक्र के निविदा हेतु - निविदा खोलने की तिथि 20.01.2010
तृतीय चक्र के निविदा हेतु - निविदा खोलने की तिथि 03.02.2010

प्रति,

वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक,
......................................वृत्त,
डाकघर ....छत्तीसगढ़

प्रेषक,

निविदाकार का नाम - ....
पता - ....

(IV) निविदा पत्र अन्तर्धारित करने वाला लिफाफा वन संरक्षक को अथवा उनके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति को सम्यूक अभिस्वीकृति प्राप्त करके किया जा सकेगा या पावती पंजीकृत डाक द्वारा उसको इस प्रकार भेजा जा सकता है ताकि वह प्रथम निविदा, द्वितीय निविदा एवं तृतीय निविदा हेतु क्रमशः दिनांक 03.01.2010, 19.01.2010 एवं 02.02.2010 को 16.30 बजे तक वन संरक्षक कार्यालय में प्राप्त हो जावे । सार्वजनिक अवकाश घोषित होने पर भी निविदायें इस तिथि को प्राप्त की जावेंगी ।

6. निविदाओं का खोला जाना -

(I) विभिन्न वन संरक्षकों के कार्यालयों में प्राप्त निविदायें, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चक्र हेतु क्रमशः दिनांक 04.01.2010, 20.01.2010 एवं 03.02.2010 को प्रातः 9.00 बजे से एक साथ पंडरी स्थित सामाजिक वानिकी सभागृह, रायपुर एवं नीलाम हाल, वनमण्डल कार्यालय के पीछे, वेयर हाउस रोड़, बिलासपुर में ऐसे निविदाकारों के समक्ष जो उपस्थित हों, खोली जावेंगी और आवश्यकता पड़ने पर अगले दिनांकों को भी खोली जावेंगी भले ही निविदाएं खोले जाने वाले दिनों को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया हो ।

(II) विभिन्न वृत्तों में प्राप्त निविदायें नीचे दिये गये क्रम में उनके सामने दर्शाये स्थानों पर खोली जायेंगी :-

वृत्त तथा क्रम		**स्थान जहां निविदायें खोली जावेंगी**
(एक)	रायपुर, दुर्ग, कांकेर, जगदलपुर	रायपुर
(दो)	बिलासपुर, सरगुजा	बिलासपुर

(III) प्रत्येक स्थान पर निविदायें निम्न अधिकारियों की समिति अथवा प्रबंध संचालक, संघ के द्वारा गठित समिति के द्वारा खोली जायेंगी :-

क्र.	**स्थान**	**समिति के सदस्य**
1.	रायपुर	वन संरक्षक, रायपुर, दुर्ग एवं कांकेर ।
2.	बिलासपुर	वन संरक्षक, बिलासपुर, वन संरक्षक, कार्य आयोजना वृत, बिलासपुर एवं वन मंडल अधिकारी, बिलासपुर ।

7. क्रेता करारनामा का निष्पादन -

(I) सफल निविदाकार का प्रस्ताव तार एवं/अथवा पत्र जारी कर स्वीकार किया जावेगा और ऐसी स्वीकृति जारी होने पर सम्बंधित तेन्दूपत्ते के लाट के क्रय की संविदा निविदाकार और संघ के बीच अस्तित्व में आ गई मानी जावेगी एवं निविदाकार लाट का क्रेता माना जावेगा ।

परिशिष्ट-IV
(क्रेता का करारनामा)

(II) सफल निविदाकार को, उसके प्रस्ताव की संघ द्वारा स्वीकृति जारी किये जाने के 30 दिन के अन्दर, प्रत्येक लाट के लिए परिशिष्ट (IV) (क्रेता का

करारनामा) में दिये गये प्रपत्र में करारनामा वन संरक्षक अथवा उनके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति के समक्ष निष्पादित करना होगा । निविदाकार के द्वारा 2000/- रूपये बतौर फीस जमा किये जाने पर इस अवधि में वन संरक्षक के द्वारा 7 दिन की वृद्धि की जा सकेगी । इस प्रकार 30वां दिन/7वां दिन यदि सार्वजनिक अवकाश रहता है तो करारनामा निष्पादन आगामी कार्य दिवस में किया जा सकेगा। 30 दिन/7 दिन की अवधि की गणना संघ मुख्यालय / वन संरक्षक कार्यालय से आदेश जारी होने की तिथि के आगामी दिन से की जावेगी ।

(III) करारनामे के निष्पादन नहीं किये जाने की स्थिति में क्रेता की नियुक्ति वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक द्वारा निरस्त की जा सकेगी और ऐसे निरस्तीकरण पर सम्बंधित लाट के क्रय मूल्य के 8% की राशि सत्यंकार की राशि में से अधिहरण कर ली जायेगी और वन संरक्षक द्वारा निविदाकार को ऐसी अवधि के लिये काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा जो 3 वर्ष तक हो सकती है । इसके अतिरिक्त यदि लाट/लाटों, जिनके लिये क्रेता की नियुक्ति निरस्त की गई है, के पश्चात्वर्ती निर्वर्तन पर संघ को हुई हानि, यदि कोई हो, क्रेता को वहन करनी होगी और यदि ऐसी हानि की रकम क्रेता के द्वारा, उसको इस संबंध में जारी की गई मांग सूचना के 15 दिन के अन्दर, जमा नहीं की जाती है तो ऐसी हानि की राशि उससे भू राजस्व के बकाया बतौर वसूली योग्य होगी, परन्तु यदि ऐसे पश्चात्वर्ती निर्वर्तन में क्रय मूल्य से अधिक राशि प्राप्त होती है तो क्रेता का इस अधिक राशि पर कोई अधिकार या दावा नहीं होगा, परन्तु यदि क्रेता चाहे तो क्रय मूल्य के 15% की राशि, सत्यंकार की राशि को सम्मिलित करते हुये, जमा कर वसूली एवं काली सूची में दर्ज होने सहित सभी पश्चातवर्ती दायित्वों से मुक्त हो सकता है ।

8. देय राशि का भुगतान-

(अ) क्रेता देय राशि का भुगतान, क्रेता करारनामा के प्रावधानानुसार, चार बराबर किश्तों में निम्नांकित तिथियों को अथवा उनके पूर्व करेगाः-

किश्त क्रमांक	**तिथि**
प्रथम	04.10.2010
द्वितीय	19.11.2010
तृतीय	04.01.2011
चतुर्थ	15.02.2011

(ब) सम्पूर्ण क्रय मूल्य के भुगतान पर रिबेट-

यदि क्रेता द्वारा प्रथम किश्त की देय दिनांक तक किसी लाट का सम्पूर्ण क्रय मूल्य समस्त देय करों सहित भुगतान किया जाता है तो क्रय मूल्य की राशि के 2% के बराबर राशि की छूट दी जावेगी । यदि क्रेता इस सुविधा का लाभ उठाना चाहता है, तो वह सम्पूर्ण क्रय मूल्य की 98% राशि तथा सम्पूर्ण क्रय मूल्य (100%) पर समस्त देय करों की राशि का भुगतान करेगा । यदि अधिसूचित मात्रा से अधिक संग्रहण होता है तो यह छूट संग्रहित मात्रा के लिये प्राप्त होगी ।

9. पत्तों का परिवहन/निकासी -

(I) किश्त/किश्तों के भुगतान के उपरांत पत्तों का परिवहन/निकासी परिशिष्ट-I एवं IV में दिये गये प्रावधानों के अनुसार होगा ।

परिशिष्ट-V (बैंक गारंटी)

(II) यदि क्रेता बैंक गारंटी के विरूद्ध तेंदूपत्ते को मुक्त कराने की सुविधा का लाभ उठाना चाहता है, तब वह ऐसा क्रेता करारनामा की कंडिका-7 में दर्शाई प्रक्रिया के अनुसार कर सकेगा । बैंक गारंटी परिशिष्ट -V में दिये गये प्रपत्र में होगी ।

10. परिशिष्ट -

परिशिष्ट-I से V जिनका कि सन्दर्भ उपर दिया गया है तथा परिशिष्ट VI एवं VII जो कि संघ की अधिसूचना क्रमांक ते.प.(2010)-I दिनांक 01.12.2009 के साथ संलग्न है, समस्त प्रयोजनों के लिये इस निविदा सूचना के परिशिष्ट है उनको संदर्भ के लिये देखें ।

11. निबंधनों एवं शर्तों का स्वीकार करना -

इस निविदा के संदर्भ में निविदा प्रस्तुत करने के कार्य को निविदा सूचना की शर्तों तथा परिशिष्ट- I में दिये गये निबंधनों एवं शर्तों की बिना शर्त अभिस्वीकृति समझा जावेगा ।

12. क्रेता करारनामा निष्पादन न किये जाने अथवा करारनामा समाप्त होने की दशा में -

हानि की राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी -

संबंधित निविदा/नीलाम से समस्त करों सहित संभावित प्राप्तियां (+) पुनः निर्वर्तन तक गोदाम, पर्यवेक्षण इत्यादि का व्यय (-) पश्चातवर्ती निविदा/नीलाम से समस्त करों सहित प्राप्तियां ।

13. हिन्दी रूपान्तरण प्राधिकृत पाठ -

इस सूचना का तथा इसकी अनुसूची एवं परिशिष्टों का हिन्दी रूपान्तरण सभी प्रयोजनों के लिये प्राधिकृत पाठ समझा जावेगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा उनकी ओर से

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास)
सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर - 492007

परिशिष्ट- I
निविदा के निबंधन एवं शर्ते तथा निविदाकारों के लिए निर्देश जो निविदा सूचना क्रमांक ते.प.(2010)-I दिनांक 01.12.2009 के भाग है

निविदा के निबंधन व शर्ते तथा निविदाकारों के लिए निर्देश और निविदा सूचना एवं उसकी अनुसूची व विभिन्न परिशिष्टों में प्रयोग में लाये गये शब्दों एवं अभिव्यक्तियों की परिभाषायें नीचे दिये अनुसार हैं । ये निविदा सूचना के अभिन्न अंग होंगे ।

1. **परिभाषाएं** -

इस अधिसूचना तथा इसके परिशिष्टों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो -

(i) **''अधिनियम''** से तात्पर्य तत्समय प्रवृत छत्तीसगढ़ तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1964 (1964 का स. 29) से हैं ।

(ii) **''अभिकर्ता''** से तात्पर्य शासन द्वारा अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत नियुक्त अभिकर्त्ता से है ।

(iii) **''देय राशि''** से तात्पर्य लाट के क्रय मूल्य तथा उस पर देय कर के योग से है, जो सफल निविदाकार को देनी होगी । अधिसूचित मात्रा से अधिक संग्रहित / क्रय मात्रा का निविदा दर पर करों सहित क्रय मूल्य इसमें सम्मिलित होगा ।

(iv) **''परिशिष्ट''** से तात्पर्य निविदा सूचना के परिशिष्ट से है ।

(v) **''बकाया''** से अभिप्रेत है, निविदाकार के विरूद्ध बकाया ऐसी कोई राशि जो छत्तीसगढ़ सरकार के वन विभाग अथवा संघ को शोध्य है और जिसकी सूचना निविदा प्रस्तुत किये जाने की अंतिम तारीख से कम से कम 30 दिन पूर्व वन विभाग अथवा संघ अथवा उनके पदाधिकारी द्वारा उसे पजीकृत डाक द्वारा भेजी गई हो,

(vi) **''संग्रहणकाल''** से तात्पर्य कैलेण्डर वर्ष की अप्रैल से जून तक की अवधि से है,

(vii) **''वन संरक्षक''** से तात्पर्य सम्बन्धित क्षेत्रीय वन संरक्षक से है, जो संघ के पदेन महाप्रबंधक भी घोषित है,

(viii) **''जिला यूनियन''** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) के अधीन पंजीकृत कोई जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित, जो संघ की सदस्य हो,

(ix) **''वन मंडलाधिकारी''** से तात्पर्य संबंधित वन मंडलाधिकारी (सामान्य) से हैं, जो संघ के संबंधित जिला यूनियन के प्रबंध संचालक भी घोषित हैं,

(x) **''संघ''** से तात्पर्य छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर से है।

(xi) **''शासन''** से तात्पर्य छत्तीसगढ़ शासन से है,

(xii) **''लाट''** से अभिप्रेत है, किसी प्राथमिक सहकारी समिति, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य क्षेत्र में संग्रहित, होने वाला तेंदूपत्ता ।

(xiii) **''नियमावली''** से तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त छत्तीसगढ़ तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) नियमावली, 1966 से है ।

(xiv) **''प्राथमिक समिति''** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) के अधीन पंजीकृत प्राथमिक वनोपज सहकारी संस्था मर्यादित जो "जिला यूनियन" की सदस्य हो ।

(xv) **''क्रय क्षमता''** से तात्पर्य उस राशि से है जो इन शर्तों एवं निबंधनों की शर्त. 4(IV) तथा 5(II) के प्रावधानों के अनुसार मान्य की गई हो ।

(xvi) **''क्रय मूल्य''** से तात्पर्य उस राशि से है, जो तेंदूपत्ता लाटों की संग्रहित मानक बोरा में दर्शित मात्रा, को नीचे (xvii) की परिभाषित क्रय दर से गुणा करने पर प्राप्त हो ।

(xvii) **''क्रय दर''** से तात्पर्य निविदाकार के द्वारा प्रस्तावित उस प्रति मानक बोरा निविदा दर से है, जो संघ के द्वारा स्वीकृत की गई हो ।

(xviii) **''परिक्षेत्र अधिकारी''** से तात्पर्य संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी से हैं, जो संघ के पदेन परिक्षेत्र प्रबंधक भी हैं,

(xix) **''देय कर''** से तात्पर्य लाट के पत्तों के क्रय मूल्य पर समय-समय पर प्रवृत्त देय मूल्य संवर्धित कर, वन विकास उपकर व अन्य सभी कर/उपकर आदि से है,

(xx) **''निविदा दर''** से तात्पर्य उस प्रति मानक बोरा दर (जिसमें मूल्य संवर्धित कर, वन विकास उपकर तथा अन्य कोई कर/उपकर सम्मिलित नही हैं) से है जो निविदाकार विभिन्न लाटों के तेंदूपत्ता के क्रय के लिए परिशिष्ट- II में दिए गए निविदा पत्र की कंडिका 9 में अलग -अलग लाट के लिए प्रस्तावित करेगा ।

(xxi) **''निविदाकार''** से तात्पर्य उस व्यक्ति अथवा पंजीकृत फर्म या विधिक कंपनी से है, जो इन निबंधनों तथा शर्तों के अधीन, तेंदूपत्ता क्रय करने हेतु निविदा प्रस्तुत करता है और इस अभिव्यक्ति में उसका दायद, उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि तथा अभिहस्तांकिती सम्मिलित होंगे ।

(xxii) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जो उपर परिभाषित नहीं हैं, परन्तु जो अधिनियम अथवा नियमावली में परिभाषित हैं, अर्थ वही होगा जो उनके लिए कथित अधिनियम अथवा नियमावली में दिया गया है ।

2. इकाईयों का विवरण -

इकाईयों का विवरण (नाम एवं सीमा) जिसमें से संग्रहण किया जाना है मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 की धारा 3 के अधीन, मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) मध्यप्रदेश द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक ते.प/ 11001, दिनांक 26.11.86 तथा पश्चातवर्ती संशोधनों में दिया गया है ।

3. अधिनियम के प्रावधान का लागू होना -

अधिनियम तथा नियमावली के समस्त तत्समय प्रवृत्त प्रावधान जहां तक कि वे क्रेताओं के उपर लागू होते है निविदा सूचना एवं क्रेता करारनामे के निबंधनों तथा शर्तों के विशेषतः अभिन्न अंग होंगे ।

4. निविदा प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत व्यक्ति आदि-

(I) निविदा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा यह उल्लेखित किया जायेगा कि वह/वे किस हैसियत से निविदा पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा है/कर रहे हैं, उदाहरणार्थ, सम्बंधित फर्म के पूर्ण स्वामी अथवा किसी मर्यादित कम्पनी के प्रबंध संचालक, संचालक अथवा सचिव के

रूप में । भागीदारी फर्म के मामले में सभी भागीदारों के नाम अभिलिखित होंगे और निविदा पत्र पर सभी भागीदारों द्वारा अथवा उनके सम्यक् रूप में नियुक्त अटार्नी द्वारा जिसे मुख्त्यारनामा द्वारा या भागीदारी विलेख में दिये गये अनुसार संविदा संबंधी सभी विषयों में सभी भागीदारों को आबद्ध करने का अधिकार हो, हस्ताक्षर किये जायेंगे । पंजीकृत भागीदारी विलेख की एक सत्य प्रति निविदा पत्र के साथ प्रस्तुत की जायेगी जो न करने पर निविदा अमान्य किये जाने योग्य होगी। जिस फर्म ने करार किया है, उस फर्म के प्रत्येक भागीदार के लिए यह बाध्यकर होगा कि वह करार के चालू रहने के दौरान उसके अनुबंधों तथा शर्तों का अनुपालन करें, भले ही अभ्यंतर काल में भागीदारी का विघटन हो गया हो । मर्यादित कम्पनी की स्थिति में निविदा पर, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे, जिसे कम्पनी द्वारा वैसा करने हेतु अधिकृत किया हो तथा कम्पनी मेमोरेंडम और आर्टीकल आफ एसोसिएशन की एक प्रति और वह पत्र जिसके द्वारा उस व्यक्ति को निविदा अभिलेखों में हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत किया गया है, निविदा पत्र के साथ संलग्न किये जायेंगे जो न करने पर निविदा अमान्य किये जाने योग्य होगी । अविभाजित हिन्दू कुटुम्ब की स्थिति में कुटुम्ब के सभी सदस्यों के नाम निविदा पत्र में लिखे जायेंगे तथा "कर्ता" जो कुटुम्ब को आबद्ध कर सके, निविदा पत्र पर हस्ताक्षर करेगा और अपने हस्ताक्षर के नीचे अपनी हैसियत का उल्लेख करेगा ।

(II) किसी अन्य व्यक्ति या फर्म की ओर से निविदा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति निविदा पत्र के साथ मुख्त्यारनामा या उसके पक्ष में सम्यक् रूप से निष्पादित डीड या भागीदारी विलेख, जिसमें उसे यह शक्ति दी गई हो, जो यह दर्शाये कि यथास्थिति ऐसे अन्य व्यक्तियों को या फर्म को, संविदा संबंधी सभी विषयों में आबद्ध करने का उसे अधिकार है, निविदा पत्र के साथ संलग्न करेगा। यदि निविदा पत्र पर इस प्रकार हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति उक्त मुख्त्यारनामा या भागीदारी विलेख संलग्न नहीं करता हैं, तो उसकी निविदा संक्षिप्त रूप से अस्वीकृति योग्य होगी । मुख्त्यारनामे पर, भागीदारी प्रतिष्ठान होने पर सभी भागीदारों द्वारा, प्रोप्राइटर फर्म होने पर प्रोप्राइटर द्वारा तथा मर्यादित कम्पनी होने पर उस व्यक्ति द्वारा जो अपने हस्ताक्षर से कम्पनी को आबद्ध कर सकता है, हस्ताक्षर किये जायेंगे। हिन्दू अविभाजित कुटुम्ब होने पर मुख्त्यारनामे पर "कर्ता" जो अपने हस्ताक्षर से कुटुम्ब को आबद्ध कर सकता है, द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे ।

(III) अवयस्क, दिवालिया, अथवा काली सूची में दर्ज व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत निविदाएं अवैध मानी जावेंगी ।

(IV) ऐसा निविदाकार जो कि बकायादार है, निविदा पत्र के साथ किसी भी अनुसूचित बैंक के बैंक ड्राफट/ डिमांड ड्राफट के रूप में जो संघ के प्रबंध संचालक के पक्ष में रायपुर में देय हो, बकाया का भुगतान कर सकता है परन्तु यदि वह ऐसा करने में चूक करता है, तो उसके द्वारा निविदा के साथ सत्यंकार के रूप में जमा राशि से बकाया राशि को काट कर शेष राशि के आधार पर उसकी क्रय क्षमता की गणना कर उसकी निविदा पर विचार किया जावेगा ।

(V) निविदाकार का निविदा देने की तिथि को अधिनियम तथा नियमावली के अंतर्गत विनिर्माता/ निर्यातक के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है और यदि वह केता नियुक्त किया जाता है तो उसे करार समाप्ति की तिथि तक पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा । निविदा पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर उस वर्ष जिसमें निविदा दी गई हैं के पंजीयन प्रमाण पत्र का क्रमांक एवं दिनांक तथा वन मंडल का उल्लेख करना आवश्यक है एवं निविदा के साथ वन मंडलाधिकारी द्वारा दिये गए पंजीयन प्रमाण पत्र की फोटो प्रति संलग्न करनी अनिवार्य है ।

(VI) यदि कोई निविदाकार निविदा के खुलने के समय कोई कदाचार करता हैं या शांति बनाये रखने में बाधा डालता है, तो उसके द्वारा प्रस्तुत निविदा अवैध घोषित कर दी जायेगी एवं उसके द्वारा निविदा के साथ जमा सत्यंकार की राशि अधिहरित कर ली जावेगी तथा ऐसी निविदा के अवैध घोषित किये जाने के कारण संघ को हुई हानि उससे वसूली योग्य होगी और इसके

अतिरिक्त ऐसे निविदाकार को ऐसी कालावधि के लिए वन संरक्षक द्वारा काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा, जो तीन वर्षों तक हो सकती है ।

5. सत्यंकार की राशि -

(I) प्रत्येक निविदा, सत्यंकार की राशि, जो निविदा पत्र में दर्शित क्रय क्षमता की 8% की राशि से किसी भी दशा में कम नहीं होगी, के साथ शर्त क्रमांक 13 में दर्शाये विवरण अनुसार प्रस्तुत की जावेगी । अन्य किसी रूप में सत्यंकार की राशि जमा करने पर अथवा RTGS से राशि निविदा प्रस्तुतीकरण की अन्तिम तिथि तक संघ के बैंक खाते में जमा न होने की स्थिति में निविदा संक्षिप्त रूप से अमान्य किये जाने योग्य होगी ।

(II) निविदा-पत्र में उल्लेखित क्रय क्षमता की राशि अथवा बैंक ड्राफट/ डिमांड ड्राफट की राशि के 12.5 गुना राशि में से, जो भी कम हो, निविदाकार की क्रय क्षमता के रूप में मान्य की जावेगी और इस प्रकार मान्य की गई क्रय क्षमता के आधार पर निविदा पर विचार किया जायेगा । यदि निविदा में क्रय क्षमता का उल्लेख नहीं है अथवा निविदाकार द्वारा उल्लेखित क्रय क्षमता में शब्दों एवं अंकों में अंतर है, तो निविदा के साथ सत्यंकार की राशि के रूप में संलग्न बैंक ड्राफट/ डिमांड ड्राफट की राशि की 12.5 गुना राशि क्रय क्षमता मानी जावेगी । ऐसे निविदाकार की क्रय क्षमता, जो कि बकायादार है, का निर्धारण शर्त क्रमांक 4(IV) के अनुसार परिगणित, कम की गई सत्यंकार की राशि के आधार पर किया जावेगा ।

(III) सफल निविदाकार के द्वारा जमा की गई सत्यंकार की राशि प्रथमतः उसके द्वारा देय प्रतिभूति राशि के रूप में शर्त क्रमांक 9(I) के अनुसार क्रय मूल्य की 10% की सीमा तक समायोजित की जावेगी ।

(IV) उपरोक्तानुसार प्रतिभूति के रूप में समायोजित करने के उपरांत शेष सत्यंकार की राशि निविदाकार के निवेदन पर उसको आवंटित लाट/ लाटों की किश्त/ किश्तों के भुगतान की ओर समायोजित की जावेगी अथवा उसे वापिस कर दी जावेगी ।

(V) असफल निविदाकारों की सत्यंकार राशि परिणाम घोषित होने के उपरांत उसके आवेदन के अनुसार अन्य लाटों की देय राशि में समायोजित कर दी जावेगी या आगामी निविदा/नीलाम में सत्यंकार की राशि के रुप में उपयोग की जा सकेगी या वापिस कर दी जावेगी ।

(VI) सत्यंकार की राशि पर किसी भी दशा में कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

6. निविदा भरने की प्रक्रिया -

(I) एक अथवा एक से अधिक लाटों के क्रय के लिए एक निविदाकार एक ही निविदा प्रस्तुत कर सकेगा । यदि कोई निविदाकार एक से अधिक निविदा प्रस्तुत करता है तो उसके द्वारा प्रस्तुत की गई किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा ।

(II) निविदा केवल संघ की वेबसाईट से डाउनलोडेड निविदा पत्रों पर ही प्रस्तुत की जा सकेगी अन्यथा प्रस्तुत की गई निविदा अवैध मानी जावेगी ।

(III) निविदाकार को निविदा पत्र में प्रत्येक लाट के क्रय के लिए अपना प्राथमिकता क्रम दर्शाते हुए अलग-अलग दर देना होगी । निविदाकार तेंदूपत्ता के प्रत्येक लाट के लिए प्रति मानक बोरा दर, जिसमें कर/ उपकर सम्मिलित नहीं होंगे, अपने निविदा पत्र में प्रस्तावित करेगा । प्रस्ताव में प्रति मानक बोरा दर दर्शाना होगी, एकमुश्त रकम नही । निविदा दर पूर्ण रूपये में दी जावेगी । यदि दर रूपये के अंश में प्रस्तावित की गई तो उसे अगले अधिक पूर्ण रूपये में ही संघ द्वारा माना जावेगा और निविदाकार को उसे मानना होगा । यदि अंको और शब्दों में दी गई दरों में अंतर हो तो उनमें से उच्चतम दर को ही निविदाकार का प्रस्ताव माना जावेगा ।

(IV) निविदाकार को अपने प्रथम प्राथमिकता वाले लाट के विवरण को अनुक्रमांक-1 पर, दूसरी प्राथमिकता वाले लाट के विवरण को अनुक्रमांक-2 पर और तद्नुसार निविदा पत्र के कंडिका-9 में अंकित करना चाहिये । निविदाकार के द्वारा निविदा पत्र में दर्शाये गये प्राथमिकता क्रम में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं करने दिया जावेगा ।

(V) विभिन्न लाटों के लिए प्रस्ताव इस प्रकार प्रस्तुत किये जा सकेंगे कि लाटों, जिनके लिए प्रस्ताव दिये गये हैं, का कुल क्रय मूल्य क्रय क्षमता के 10 गुना से अधिक न हो परन्तु प्रस्ताव केवल क्रय क्षमता तक ही स्वीकृत किये जावेंगे ।

(VI) यदि प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव का कुल क्रय मूल्य क्रय क्षमता के 10 गुना से अधिक है तो ऐसे प्रस्तावों (प्राथिमिकता क्रम के अनुसार) जो इस सीमा से अधिक है, पर विचार नहीं किया जावेगा ।

(VII) यदि कोई निविदाकार एक लाट के लिए एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, तो उसके द्वारा दिये गये उच्चतम दर पर ही विचार किया जावेगा और निचली दरों के प्रस्तावों के संबंध में यह माना जावेगा कि वह प्रस्तुत ही नहीं किये गये । यदि एक लाट के लिए निविदाकार द्वारा प्रस्तुत सभी प्रस्तावों की दरें समान है, तो केवल उच्चतम प्राथमिकता के प्रस्ताव पर ही विचार किया जावेगा और निचली प्राथमिकता के प्रस्तावों के संबंध में यह माना जावेगा कि वह प्रस्तुत ही नहीं किये गये ।

(VIII) यदि निविदाकार के द्वारा प्रस्तुत निविदा में किसी लाट के प्रस्ताव स्पष्ट नहीं हैं अर्थात् वह प्रस्ताव किस विशिष्ट लाट के लिए दिया गया है या किस राशि के लिए है अथवा यदि किसी लाट की पहचान के संबंध में कोई त्रुटि की गई है अथवा किसी लाट के शब्दों एवं अंकों में दर्शाए गये क्रमांक में अन्तर पाया जाता है तो उस लाट के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जावेगा।

(IX) निविदाकार को अपने पत्र में अपना पूर्ण एवं सही डाक का पता इस हेतु, निर्धारित स्थान पर आवश्यक रूप से अंकित करना होगा । इस पते पर पंजीकृत डाक से भेजे गये पत्र उसके द्वारा प्राप्त किये गये माने जावेंगे । निविदाकार को संबोधित समस्त पत्रों को प्राप्त करने का दायित्व उसका स्वयं का है । यदि निविदाकार के द्वारा अंकित किया गया डाक पता गलत पाया जाता हैं तो उसका नाम काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा ।

(X) यदि कोई निविदाकार अपनी निविदा में किसी प्रविष्टि को काटकर अथवा उपरिलेखन करके कोई शुद्धि करता है तो ऐसे शुद्धिकरण का विवरण निविदा पत्र की कंडिका-8 में दिया जाना आवश्यक है तथा सही की गई प्रविष्टी पर निविदाकार द्वारा अपने हस्ताक्षर किये जावेंगे । निविदा पत्र की कंडिका-8 में उल्लेखित शुद्धिकृत प्रविष्टियों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य काटी अथवा उपरिलिखित प्रविष्टि पाई जाती हैं अथवा यदि सुधार उपरांत किसी प्रविष्टी पर निविदाकार के हस्ताक्षर नहीं पाये जाते हैं तो उस प्रविष्टि को अवैध माना जावेगा और उस पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

(XI) निविदाकार को निविदा पत्र के प्रत्येक पृष्ठ को भरना होगा और प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना होगा तथा उसके साथ समस्त आवश्यक अभिलेख एवं सम्यक् रूप से निष्पादित किये गये निविदाकार के करारनामे को संलग्न कर, निविदा सूचना की शर्त क्रमांक-5 के अनुसार उसे प्रस्तुत करना होगा । सम्यक् रूप से निष्पादित निविदाकार का करारनामा तथा अन्य अभिलेख निविदा पत्र के साथ संलग्न न किये जाने पर, निविदा विचार किये जाने योग्य नहीं होगी ।

7. प्रस्तावों को वापिस लिया जाना आदि -

(I) निविदाओं का खुलना प्रारम्भ होने के पूर्व कोई भी निविदाकार निविदा सूचना की शर्त क्रमांक-6 के अंतर्गत, निविदाओं को खोलने हेतु गठित समिति के समक्ष प्रस्ताव वापसी का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर, उसके द्वारा किसी लाट/लाटों के लिए किये गये प्रस्ताव को वापस ले सकेगा ।

प्रस्ताव वापसी के आवेदन पत्र में उन लाटों के क्रमांक एवं प्राथमिकता क्रमांक अंकों एवं शब्दों में उल्लेख करना आवश्यक होगा जिनके प्रस्ताव वापस लिये जाना प्रस्तावित है । उक्त विवरण के अभाव में अथवा अंकों एवं शब्दों में भिन्नता होने पर संबंधित प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(II) निविदाओं का खुलना प्रारम्भ होने के उपरांत कोई भी निविदाकार किसी लाट/लाटों के लिये अपना प्रस्ताव वापस नहीं ले सकेगा और वह अपने प्रस्ताव तथा निविदा सूचना के निबंधनों तथा शर्तों से तथा इन निबंधनों तथा शर्तों से तब तक बाध्य रहेगा जब तक संघ के द्वारा उसके प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने संबंधी पत्र जारी नहीं कर दिया जाता । इस शर्त का उल्लंघन करने पर संबंधित लाट/लाटों के क्रय मूल्य, जो कि उसके द्वारा प्रस्तावित दर को लाट की मानक बोरा मात्रा से गुणा करने पर परिगणित किया जावेगा, की 8% राशि का उसके द्वारा प्रस्तुत की गई सत्यंकार की राशि में से अधिहरण कर लिया जावेगा और उसे 3 वर्ष तक की कालावधि के लिये काली-सूची में दर्ज किया जा सकेगा ।

8. **निविदाओं को स्वीकार किया जाना -**

(I) शासन/संघ निविदा पत्र में अंकित किसी भी लाट या समस्त लाटों के प्रस्ताव/प्रस्तावों को बिना कारण दर्शाये स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।

(II) विभिन्न निविदाकारों को लाटों का आवंटन करने के लिए शासन/संघ विभिन्न लाटों या लाटों के वर्ग या विभिन्न क्षेत्रों के लाटों के लिए भिन्न-भिन्न कट आफ स्तर/अवरोध मूल्य निर्धारित करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है ।

(III) यदि किसी विशिष्ट लाट के लिए एक से अधिक निविदाकारों के द्वारा एक ही दर प्रस्तावित की जाती है तो उस लाट का आवंटन निविदाकारों के द्वारा प्रस्तुत किये गये प्राथमिकता क्रम के आधार पर किया जावेगा । यदि निविदा दर एवं प्राथमिकता क्रम दोनों एक समान हों तो लाट के आवंटन की प्राथमिकता संघ द्वारा लाटरी निकाल कर तय की जावेगी ।

(IV) निविदाकार ऐसे लाट/लाटों को जो कि उसकी क्रय क्षमता की सीमा के अंदर आते है और जिनके प्रस्ताव स्वीकार किये जाते हैं, स्वीकार करने को बाध्य होगा ।

9. **प्रतिभूति निक्षेप -**

(I) क्रेता करारनामा निष्पादित करने के पूर्व निष्पादित किये जाने वाले क्रेता करारनामा के निबंधनों तथा शर्तों के यथोचित अनुपालन के लिए सफल निविदाकार को उसके पक्ष में संघ के द्वारा स्वीकृत किये गये लाटों की अधिसूचित मात्रा के आधार पर कुल क्रय मूल्य की 25% की राशि प्रतिभूति निक्षेप के रूप में जमा करना होगी और इस प्रयोजन हेतु उसके द्वारा शर्त क्रमांक 5 के अनुसार जमा की गई सत्यंकार की राशि क्रय मूल्य के 10% की सीमा तक उपलब्ध है, प्रतिभूति निक्षेप के रूप में संघ के द्वारा समायोजित कर ली जावेगी और अवशेष राशि निर्धारित समय के अंदर उसे जमा करना होगा । अवशेष प्रतिभूति की आशिंक राशि वन संरक्षक के पास, शर्त क्रमांक 13 में दर्शाये विवरण अनुसार जमा की जाएगी तथा अवशेष प्रतिभूति की आंशिक राशि प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर के नाम से परिशिष्ट VI में जिला यूनियन के समक्ष दर्शाये स्थान के किसी अनुसूचित बैंक की शाखा पर देय सावधि जमा रसीद (Fixed Deposit Receipt) अथवा किसी भी अनुसूचित बैंक की दिनांक 30.04.2011 तक की अवधि की बैंक गारंटी परिशिष्ट (V) में दर्शाये प्रारूप में वन संरक्षक को प्रस्तुत करनी होगी । यदि क्रेता चाहे तो बैंक गारंटी के स्थान पर अपने स्वयं के खाते का संघ के प्रबंध संचालक के नाम का क्रास चेक जमा कर करारनामा निष्पादित कर सकता है तथा बैंक गारंटी दिनांक 15.05.2010 तक जमा कर चेक वापस प्राप्त कर सकता है । दिनांक 15.05.2010 तक क्रेता द्वारा बैंक गारंटी जमा न करने पर चेक संघ के खाते में जमा कर दिया जावेगा । प्रतिभूति राशि की बैंक गारंटी की राशि/सावधि जमा रसीद (Fixed Deposit Receipt)

की राशि क्रय मूल्य के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी तथा बैंक ड्राफ्ट/डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जाने वाली राशि सत्यंकार में जमा की गई राशि को सम्मिलित करते हुये क्रय मूल्य की 10 प्रतिशत राशि से कम नहीं होगी ।

(II) यह प्रतिभूति निक्षेप, यथास्थिति या तो पूर्णतः या आंशिक रूप में वन मण्डलाधिकारी द्वारा अधिनियम, नियमावली, करारनामा तथा इन शर्तों के उपबंधो के अधीन क्रेता से वसूली योग्य किसी रकम, क्रय मूल्य सहित, यदि कोई हो, के प्रति समायोजित की जा सकती है और समस्त ऐसी कटौतियों की पूर्ति क्रेता द्वारा इस आशय की सूचना जारी होने के 15 दिन के भीतर उतनी ही रकम जमा करके की जावेगी ।

(III) यदि क्रेता से वसूल की जाने वाली बकाया राशि प्रतिभूति निक्षेप की रकम से अधिक हो, तो अधिक होने वाली रकम, जब तक कि उसकी पूर्ति वन मण्डलाधिकारी को उस आशय की सूचना जारी होने के पन्द्रह दिन के भीतर न की जाये, भू-राजस्व के बकाया की बतौर वसूली के योग्य होगी ।

(IV) प्रतिभूति निक्षेप या अवशेष राशि (बैंक गारंटी को छोड़कर) जैसी भी स्थिति हो, में से क्रय मूल्य की 5 प्रतिशत की राशि बैंक गारंटी या नगद राशि, जैसा कि क्रेता चाहे, रोकते हुए, वन मण्डलाधिकारी की संतुष्टि कि क्रेता के द्वारा क्रेता करारनामें के समस्त निबंधनों एवं शर्तों, अधिनियम, नियमावली तथा निविदा सूचना की शर्तों का पालन किया गया है और कोई भी राशि उसके विरूद्ध शेष नहीं निकलती है, के पश्चात् गोदाम से प्रदाय की दशा में अंतिम किश्त के विरूध्द तथा फड़ से पत्ता मुक्त होने की दशा में अंतिम भुगतान के विरूद्व समायोजित कर ली जावेगी ।

(V) उपरोक्तानुसार उप कंडिका (IV) में दर्शाये समायोजन के उपरान्त अवशेष प्रतिभूति निक्षेप की बैंक गारंटी/नगद राशि वन मण्डलाधिकारी की संतुष्टि, कि क्रेता के द्वारा क्रेता करारनामें के समस्त निबंधनों एवं शर्तों, अधिनियम, नियमावली तथा निविदा सूचना की शर्तों का पालन किया गया है और कोई भी राशि उसके विरूद्ध शेष नहीं निकलती है, के पश्चात् क्रेता को वापस कर दी जावेगी ।

10. तेंदूपत्ते का परिवहन/निकासी-

(I) तेंदूपत्ते को परिवहन/निकासी की अनुमति संग्रहित मात्रा के अनुसार देय किश्त की पूर्ण राशि के भुगतान होने पर ही क्रेता को दी जावेगी ।

(II) देय किश्त की राशि के पूर्ण भुगतान होने के पश्चात् लाट की कुल संग्रहित मात्रा की एक चौथाई मात्रा को परिवाहन/निकासी की अनुमति दी जावेगी ।

(III) भंडारण अवधि के दौरान या पत्ते की निकासी के समय लाट में से बोरे खेालकर तेंदूपत्ते की छटांई करने की अनुमति नहीं दी जावेगी तथा निकासी छल्ली (स्टेक) के उस एक ओर से ही दी जावेगी जिस ओर से निकासी प्रारम्भ की गयी हो । यदि निरीक्षण के दौरान गोदाम में तेन्दूपत्ते की छंटाई या छल्ली के एक से अधिक ओर के निकासी के प्रमाण मिलते हैं तो यह क्रेता के द्वारा क्रेता करारनामें का स्पष्ट उल्लंघन माना जावेगा ।

11. अधिनियम आदि का उल्लंघन -

ऐसा क्रेता जो अधिनियम, नियमावली और/ अथवा क्रेता करारनामे की किन्ही शर्तो का उल्लंघन करता है, जिसके परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 15 के अंर्तगत वह दंडित किया जाता है या उसके करारनामें को समाप्त किया जाता है, को पांच वर्ष की कालावधि तक के लिए काली सूची में वन संरक्षक के द्वारा दर्ज किया जा सकेगा ।

12. करारनामें का हस्तांतरण -

क्रेता संघ/ वन संरक्षक की पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किये बिना अनुबंध को किसी अन्य व्यक्ति/ पंजीकृत फर्म या विधिक संस्थान को हस्तांतरित नहीं कर सकेगा। ऐसे अनुबंध का हस्तांतरण संघ/ संबंधित वन संरक्षक द्वारा इस शर्त पर किया जा सकेगा कि जिस व्यक्ति/ पंजीकृत फर्म या विधिक संस्थान के पक्ष में अनुबंध हस्तांतरित किया जाना है वह रू. 5000/- की राशि हस्तांतरण शुल्क के रूप में तथा लाट के क्रय मूल्य की न्यूनतम 25% राशि प्रतिभूति निक्षेप के रूप में जिसमें से न्यूनतम 10 प्रतिशत राशि शर्त क्रमांक 13 में दर्शाये विवरण अनुसार अदा की जाएगी तथा अवशेष प्रतिभूति की आंशिक राशि प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य लघुवनोपज सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर के नाम से परिशिष्ट - VI में जिला यूनियन के समक्ष दर्शाये स्थान के किसी अनुसूचित बैंक की शाखा पर देय सावधि जमा रसीद (Fixed Deposit Receipt) अथवा किसी भी अनुसूचित बैंक की दिनांक 30.04.2011 तक की अवधि की बैंक गारंटी परिशिष्ट (V) में दर्शाये प्रारूप में वन संरक्षक को प्रस्तुत करना होगी । यदि क्रेता चाहे तो बैंक गारंटी के स्थान पर अपने स्वयं के खाते का संघ के प्रबंध संचालक के नाम का क्रास चेक जमा कर करारनामा निष्पादित कर सकता है तथा बैंक गारंटी दिनांक 15.05.2010 तक जमा कर चेक वापस प्राप्त कर सकता है । दिनांक 15.05.2010 तक क्रेता द्वारा बैंक गारंटी जमा न करने पर चेक संघ के खाते में जमा कर दिया जावेगा । प्रतिभूति राशि की बैंक गारंटी की राशि/सावधि जमा रसीद (Fixed Deposit Receipt) की राशि क्रय मूल्य के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । हस्तांतरणकर्ता का आवेदन, हस्तांतरणग्रहिता की सहमति, अधिनियम के तहत विनिर्माता/ निर्यातक के प्रमाण पत्र की फोटो प्रति एवं उपरोक्तानुसार हस्तांतरण शुल्क रू. 5000/- तथा लाट के क्रय मूल्य की 25% प्रतिभूति निक्षेप की राशि के बैंक ड्राफ्ट तथा बैंक गारंटी संघ / संबंधित वन संरक्षक के कार्यालय में प्रथम किश्त की राशि के प्रथम क्रेता द्वारा भुगतान के पूर्व तथा प्रथम किश्त की देय तिथि के पूर्व प्राप्त हो जाना चाहिए, परन्तु हस्तांतरण की अनुमति हेतु कोई आवेदन 15.04.2010 से 15.07.2010 की अवधि के बीच स्वीकार नहीं किया जावेगा । ऐसे प्रकरणों में हस्तांतरणकर्ता क्रेता लाट के संबंध में अपने दायित्वों से तब तक मुक्त नहीं होगा, जब तक हस्तांतरण ग्रहिता क्रेता संबंधित वन संरक्षक के कार्यालय में संबंधित लाट का क्रेता करारनामा निष्पादित नहीं कर देता है ।

13. क्रेता/निविदाकार द्वारा देय राशि की भुगतान की प्रक्रिया -

क्रेता छ.ग. राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर को देय समस्त राशि जैसे कि विक्रय मूल्य, वन विकास उपकर, मूल्य संवर्धित कर, आय कर, ब्याज एवं गोदाम किराया आदि का भुगतान किसी भी अनुसूचित बैंक के बैंक ड्राफ्ट/डिमांड ड्राफ्ट जो कि प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित के नाम होगा तथा परिशिष्ट VI में जिला यूनियन के समक्ष दर्शाये स्थान के किसी अनुसूचित बैंक की शाखा पर देय होगा, के रूप में जिला यूनियन कार्यालय में अथवा रायपुर स्थित निम्न बैंकों में उनके समक्ष दर्शाये RTGS कोड/ बैंक खाता क्रमांक में RTGS के माध्यम से हस्तानांतरण द्वारा कर सकता है ।

बैंक एवं शाखा का नाम	RTGS कोड/ बैंक खाता क्रमांक
1. स्टेट बैंक आफ इंदौर, रायपुर (मुख्य शाखा)	STIN0003172/53015395443
2. पंजाब नेशनल बैंक, रायपुर (मुख्य शाखा)	PUNB0039900/0399000100191933
3. भारतीय स्टेट बैंक, रायपुर (मंत्रालय शाखा)	SBIN0004286/10038940152

बैंक के द्वारा संचालित RTGS व्यवस्था में किसी प्रकार के व्यवधान के कारण संघ के खाते में राशि प्राप्त न होने अथवा विलम्ब से प्राप्त होने का पूर्ण उत्तरदायित्व क्रेता का होगा । आर. टी.जी.एस. व्यवस्था से भुगतान की तिथि वही मानी जावेगी, जिस तिथि को संघ के बैंक खाते में राशि प्राप्त होगी ।

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम के तहत पंजीयन क्रमांक पी.टी.एन.

परिशिष्ट- II

(निविदा सूचना क्रमांक ते.प.(2010)-I दिनांक 01.12.2009 का परिशिष्ट)

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित

ए-25, वी.आई.पी. एस्टेट, वी.आई.पी. क्लब के सामने, रायपुर - 492007

तेंदूपत्ता लाट के क्रय हेतु निविदा पत्र

(निविदा सूचना की शर्त क्रमांक -4)

1. मैं/हम/मेसर्स ....(नाम) आत्मज ....(नाम) ग्राम .... पुलिस थाना .. ..जिला....................................एतद् द्वारा नीचे कंडिका 9 की तालिका में दर्शाये गये लाटों में से क्रय क्षमता रूपये .... (अंकों में) रूपये ....(शब्दों में) मूल्य तक के लाटों के पत्ते को दिनांक 31.03.2011 को समाप्त होने वाली अवधि में निविदा सूचना तथा करारनामें की शर्तों तथा अनुबंधों के अनुसार क्रय करने के लिए करार करता हूं/ करते हैं ।

2. मैं/हम/मेसर्स ....(नाम) दिनांक 31.03.2011 को समाप्त होने वाली करार अवधि के दौरान तेंदूपत्ता के क्रय के लिए नीचे कंडिका 9 की तालिका में बताये अनुसार प्रत्येक लाट के लिए अलग-अलग प्रति मानक बोरा दर अर्थात् "निविदा दर" जिसमें मूल्य संवर्धित कर, वन विकास उपकर तथा अन्य कर/उपकर शामिल नहीं है, प्रस्तावित करता हूं/करते हैं ।

3. मैं/हम एतद् द्वारा यह घोषित करता हूं/ करते हैं कि मैंने/ हमने छत्तीसगढ़ तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 के समस्त उपबंधों, उसके अधीन बनाये गये नियमों, निविदा सूचना क्रमांक ते.प.(2010) ....दिनांक ....की शर्तों और निविदा सूचना से संलग्न करारनामें की शर्तों को पढ़ लिया है तथा समझ लिया है और मैं/ हम उनका पालन करने का करार करता हूं/ करते हैं ।

4. मैं/ हम अधिनियम के अंतर्गत बीड़ी विनिर्माता व/या तेंदूपत्ता के निर्यातक के रूप में रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र जिस पर वन मण्डल .... का क्रमांक ....दिनांक .... अंकित है, धारण करता हूं/ करते हैं ।

निविदाकार के हस्ताक्षर..........................

5. मैं/हम निविदा सूचना के निबंधन तथा शर्तों के अधीन अपेक्षित निम्नलिखित संलग्न करता हूं/करते हैं-

अ. क्र.	अभिलेख	निविदा पत्र के साथ संलग्न पृ. क्रमांक..से..तक	विवरण		
1.	क्रय क्षमता की 8% के रूप में जमा की गई सत्यंकार की राशि (परिशिष्ट-I में दिये गये निबंधन एवं शर्तों की शर्त क्र. 5(I))		बैंक /डिमांड ड्राफट आर.टी.जी.एस. द्वारा जमा पर्ची का क्रमांक एवं दिनांक	बैंक का नाम एवं शाखा	राशि (रू.)
	योग कंडिका क्र.(1)				
2.	वन विभाग/संघ को शोध्य रकम के भुगतान का विवरण (परिशिष्ट-I में दिये गये निबंधन एवं शर्तों की शर्त क्र.4(IV))				
	योग कंडिका क्र.(2)				
3.	मुख्त्यारनामा की/ फर्म के पंजीयन की/फर्म भागीदारी विलेख की प्रतिलिपि (परिशिष्ट- I में दिये गये निबंधन एवं शर्तों की शर्त क्र. 4)		(संलग्न किये गये अभिलेख का नीचे विवरण दें)		
4.	छत्तीसगढ़ तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1964 के अधीन पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति (परिशिष्ट -I में दिये गये निबंधन एवं शर्तों की शर्त क्र.4(V))		वन मण्डल .... क्रमांक ....दिनांक................. (फोटो प्रति संलग्न है)		
5.	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139 A के अनुसार आवश्यक आयकर का स्थाई खाता क्रमांक (PAN) का विवरण (निविदा सूचना की शर्त क्रमांक 5(II))		आयकर का स्थाई खाता क्रमांक (PAN) | | | | | | | | | | | (फोटो प्रति संलग्न करें)		

निविदाकार के हस्ताक्षर..........................

6. मैं/हम एतद् द्वारा घोषित करता हूं/ करते है कि मैं/ हम मेरी/ हमारी निविदा खुलने के बाद अपने प्रस्ताव (ऑफर) पर तथा इस निविदा सूचना के निबंधनों तथा शर्तों पर तब तक बाध्य रहूँगा/रहेंगे, जब तक कि सक्षम अधिकारी द्वारा निविदा स्वीकार या अस्वीकार करने के आदेश नहीं दे दिए जाते या दूसरा व्यक्ति या पंजीकृत फर्म या विधिक संस्थान उन लाटों के लिए क्रेता नियुक्त नहीं हो जाता/जाते हैं ।

7. फर्म के भागीदारों के नाम व पते इस प्रकार हैं :-

अ.क्र.	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

8. मैं/हम एतद् द्वारा प्रकट करता हूं/करते है कि निविदा पत्र के विभिन्न ब्योरे भरते समय मैंने/हमने कतिपय प्रविष्टियों में सुधार किया है जिनके पृथक-पृथक ब्योरे निम्नानुसार है :-

अ.क्र.	निविदा पत्र का पृ.क्र.	पंक्ति का क्रमांक	सही की गई प्रविष्टि
1	2	3	4

मैंने/हमने उपरोक्त प्रविष्टियों पर हस्ताक्षर भी कर दिये है । (परिशिष्ट- I में दी गई निबंधन एवं शर्तों की शर्त क्रमांक 6(X))

निविदाकार के हस्ताक्षर.........................

9. मैं/हम/मेसर्स .... एतद् द्वारा नीचे दर्शाए गये प्राथमिकता के कम अनुसार निम्नांकित तेंदूपत्ता लाटों के कय के लिए, उनके समक्ष दर्शाए प्रति मानक बोरा कय दर अर्थात् निविदा दर, जिसमें मूल्य संवर्धित कर, वन विकास उपकर तथा अन्य कर/ उपकर शामिल नहीं है, प्रस्तावित करता हूं/करते है ।

प्राथमिकता कम	**लाट कमांक**		**प्रस्तावित दर प्रति मानक बोरा (रूपये में)**	
	(अंकों में)	**(शब्दों में)**	**(अंकों में)**	**(शब्दों में)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.				
2.				
3.				
4.				
-				
-				
-				
-				
38.				
39.				
40.				

टीपः- कालम 2 एवं 4 में अंग्रेजी अंकों का ही उपयोग किया जाये ।

मैं/ हम उपरोक्त दर्शित लाटों में से इस निविदा पत्र में दर्शाई गई कय क्षमता के बराबर या उससे कम किसी भी लाट/लाटों के पत्ते को कय करने को इच्छुक एवं सहमत हूं/हैं ।

स्थान ....
दिनांक ....

निविदाकार के हस्ताक्षर.................

डाक का पूरा पता
दूरभाष कमांक ....

टीप :- 40 से अधिक लॉटों के लिये प्रस्ताव दिये जाने के लिये आवश्यकतानुसार संबंधित कार्यालय से सतत् पत्र प्राप्त किये जा सकते हैं ।

परिशिष्ट-III

(निविदा सूचना क्रमांक ते.प.(2010)-I दिनांक 01.12.2009 का परिशिष्ट)

निविदाकार का करारनामा

(निविदा सूचना की शर्त क्रमांक -4(II))

यह करार आज दिनांक ....माह..................सन्....................को प्रथम पक्ष वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक....................वृत्त के मार्फत कार्य करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्या. (जिन्हे इसके आगे "संघ" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में, उनके उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि तथा अभिहस्तांकिती सम्मिलित होंगे) तथा द्वितीय पक्ष श्री/मेसर्स............ ....आत्मज ....ग्राम ....पुलिस थाना .... जिला..............................(जिन्हें इसके आगे "निविदाकार कहा गया है", जिस अभिव्यक्ति में, उसके दायद, उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि तथा अभिहस्तांकिती सम्मिलित होंगे) के मध्य किया जाता है।

चूँकि तेंदूपत्ते का व्यापार छत्तीसगढ़ तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों द्वारा विनियमित होता है,

और

चूँकि शासन द्वारा संघ को छत्तीसगढ़ राज्य की विभिन्न तेंदूपत्ता समितियों (लाटों) में संग्रहित होने वाले तेंदूपत्तों के अग्रिम निर्वर्तन हेतु अधिकृत किया गया है,

और

चूँकि वर्ष 2010 संग्रहण सीजन में संघ विभिन्न समितियों (लाटों) में संग्रहित होने वाले तेंदूपत्तों का निविदा द्वारा निर्वर्तन करना चाहता है एवं उसके द्वारा निविदाएं आमंत्रित करने हेतु सूचना क्रमांक ते.प.(2010) - .... दिनांक .... जारी की गई है और चूँकि संघ उपरोक्त निविदा सूचना की शर्तों के परिपालन के लिए संभावित निविदाकारों से निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व एक करारनामा निष्पादित करवाना चाहता है ।

अतएवं यह प्रलेख निम्नलिखित बातों का साक्षी है और इससे संबंधित व्यक्ति, पंजीकृत फर्म या विधिक संस्थान द्वारा एतद् द्वारा निम्नलिखित रूप से परस्पर करार करते हैं :-

1. मैं/ हम ....एतद् द्वारा यह घोषित करता हूं/करते है कि मैंने/हमने छत्तीसगढ़ तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 के समस्त उपबंधों, उसके अधीन बनाये नियमों, उपरोक्त वर्णित निविदा सूचना की शर्तों, निविदा सूचना के परिशिष्ट-I में दिये गये निविदा के निबंधनों एवं शर्तों तथा निविदाकारों के लिए निर्देश तथा उपरोक्त निविदा सूचना से संलग्न क्रेता करारनामा की शर्तों को पढ़ लिया है और समझ लिया है और मैं/हम उनका पालन करने का करार करता हूं/करते हैं ।

2. मैं/ हम ....एतद् द्वारा घोषित करता हूं/करते है कि मैं/हम निविदाएं खुलना प्रारम्भ होने के पश्चात् अपना प्रस्ताव (ऑफर) वापस नहीं लूंगा/लेंगे। मैं/हम यह भी घोषित करता हूं/करते है कि मैं/हम निविदा खुलने के बाद अपने प्रस्ताव (ऑफर) पर तथा इस निविदा सूचना के निबंधनों तथा शर्तों पर तब तक बाध्य रहूंगा/रहेंगे, जब तक कि सक्षम अधिकारी द्वारा निविदा स्वीकार या अस्वीकार करने के आदेश नहीं हो जाते या दूसरा व्यक्ति या पक्ष उस लाट/लाटों के लिए क्रेता नियुक्त नहीं हो जाता जिसके/जिनके लिए मैंने/हमने निविदा प्रस्तुत की है ।

3. मेरे/हमारे ....के द्वारा इस करारनामे की शर्तों के परिपालन में असफल होने पर मैं/ हम ऐसी शास्ति के भुगतान के दायित्वाधीन रहूँगा/रहेंगे जैसी कि निविदा सूचना की शर्तों और उपबंधों के अधीन वसूली योग्य होगी ।

4. इस करार के संबंध में यही और सदैव यही समझा जावेगा कि वह छत्तीसगढ़ तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1964 के और उसके अधीन बनाये गये नियमों के और उक्त अधिनियम तथा नियमों के अधीन समय-समय पर जारी किये गये आदेशों तथा अधिसूचना के साथ ही संघ की अधिसूचना क्रमांक ते.प. (2010) ....दिनांक .... के अधीन जारी की गई निविदा सूचना के उपबंधों तथा शर्तों के और जो सब इस करार के भाग होंगे और इसके भाग बन गये समझे जायेंगे और जिनका यह अर्थ लगाया जायेगा कि वे इस प्रलेख में विनिर्दिष्ट रूप से उपस्थित है, उपबंधों के अध्यधीन है ।

5. मैं/ हम ....एतद् द्वारा घोषित करता हूं/करते है कि मेरे/हमारे विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य में न तो वन विभाग अथवा संघ की कोई राशि बकाया है और न ही मैं/हम/शासन/संघ के द्वारा काली सूची में दर्ज किया गया हूँ/हैं ।

जिसके साक्ष्य में मैंने/हमने संबंधित व्यक्ति/पंजीकृत फर्म/विधिक कम्पनी ने पहले उपर लिखे गये दिनांक तथा वर्ष को अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं ।

साक्षीगणः-

1. हस्ताक्षर ....
   नाम एवं डाक का पूरा पता ....

2. हस्ताक्षर ....
   नाम एवं डाक का पूरा पता ....

की उपस्थिति में

....
निविदाकार के हस्ताक्षर
नाम ....
डाक का पूरा पता ....
....

साक्षीगणः-

1. हस्ताक्षर .... छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा उनकी ओर से
   नाम एवं डाक का पूरा पता ....

2. हस्ताक्षर ....
   ..
   नाम एवं डाक का पूरा पता ....

की उपस्थिति में

....
वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक
.... वृत के हस्ताक्षर

परिशिष्ट- IV

(निविदा सूचना क्रमांक ते.प.(2010)- I दिनांक 01.12.2009 का परिशिष्ट)

क्रेता का करारनामा

(निविदा सूचना की शर्त क्रमांक -7)

यह करार आज दिनांक ....माह.................सन्..................को प्रथम पक्ष छत्तीसगढ़ के राज्यपाल जो विलेख के प्रयोजन के लिए वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, ... वृत (जो इसके पश्चात् वन संरक्षक के नाम से निर्दिष्ट है) के माध्यम से कार्य कर रहे हैं (जहां संदर्भ में ऐसा ग्राहय हो, उसके कार्यालयीन उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे) तथा द्वितीय पक्ष के श्री... ....आत्मज ....निवासी..................................ग्राम.. ....और जो (1) श्री...(2) श्री ....(3) श्री .... के साथ ....स्थित कम्पनी, जिसका नाम ....है तथा जो इंडियन कंपनी एक्ट, 1913 (7-1913), कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 1) के अधीन पंजीकृत है तथा जिसका पंजीकृत कार्यालय ....में स्थित है, के साथ भागीदारी में कारोबार कर रहे हैं, जो इसमें इसके पश्चात् क्रेता के नाम से विनिर्दिष्ट है (जिस अभिव्यक्ति में, जब तक संदर्भ में इस प्रकार ग्राहय न हो, उसके दायद, उत्तराधिकारी, निष्पादक और उनके उत्तरजीवी, अंतिम उत्तरजीवियों के दायद, निष्पादक तथा प्रशासक उक्त कंपनी का तत्कालीन भागीदार, उसके उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे) के बीच किया गया जाता है (उन शब्दों को काट दिया जाए जो लागू न हो)

चूँकि छत्तीसगढ़ राज्य में तेंदूपत्ते का व्यापार, छत्तीसगढ़ तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 (क्रमांक 29/1964) के उपबंधों तथा उक्त अधिनियम के अधीन बनाई गई छत्तीसगढ़ तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) नियमावली, 1966, भारतीय वन अधिनियम, 1927 और उसके अधीन बनाये गए नियमों तथा उनके कानूनी उपांतरणों, जहां तक वे ऐसे व्यापार को लागू है, द्वारा विनियमित होता है, और चूँकि राज्य शासन ने तेंदूपत्ते के संग्रहण व निर्वर्तन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित को अभिकर्ता नियुक्त किया है और संघ ने 2010 में छत्तीसगढ़ राज्य में एकत्रित किये जाने वाले तेंदूपत्ते के अग्रिम विक्रय के लिए अपनी निविदा सूचना क्रमांक ते.प.(2010) -......... दिनांक .... के द्वारा निविदायें आमंत्रित की थी, और क्रेता लॉट क्रमांक .... (अंको में) ....(शब्दों में) समिति का नाम ....एवं अधिसूचित मात्रा ....(अंको में).. (शब्दों में) और जिसको कथित निविदा सूचना की अनुसूची क तथा ख में और पूर्णतया वर्णित किया गया है, के तेंदूपत्ते के क्रय के लिए की गई प्रस्तावित दर इसमें इसके पश्चात् दर्शाये गये निबंधनों एवं शर्तों पर स्वीकार की गई हैं और उसे इस कथित तेंदूपत्ते का दिनांक 31.03.2011 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए क्रेता नियुक्त करने के लिए वह सहमत हो गया है,

अब यह प्रलेख निम्नलिखित बातों का साक्षी है और संबंधित पक्ष एतद् द्वारा निम्नलिखित रूप से परस्पर करार करते हैंः-

1. **क्रेता करारनामा की अवधि-**

यह करार दिनांक...................... से प्रारम्भ होगा और दिनांक 31.03.2011 तक प्रवृत्त रहेगा जब तक कि इस करार के निबंधनों तथा शर्तों के अनुसार पूर्व में ही इसे समाप्त न कर दिया जाए ।

2. **करारनामे के भाग -**

इस करार के संबंध में यही और सदैव यही समझा जावेगा कि वह छत्तीसगढ़ तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 के, और उसके अधीन बनाये गये नियमों के, और उक्त अधिनियम तथा नियमों के अधीन समय-समय पर जारी किए गए आदेशों तथा अधिसूचनाओं तथा इस निविदा सूचना के निबंधनों तथा शर्तों के तथा इस निविदा सूचना के परिशिष्ट-I में उल्लेखित सामान्य/अन्य निबंधनों एवं शर्तों तथा निविदाकारों के लिए निर्देशों के जो सब इस करार के भाग होंगे, और इसके भाग बन गये समझे जावेंगे, और जिनका अर्थ लगाया जायेगा कि इस प्रलेख में विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित है, उपबंधों के अध्यधीन है ।

3. **क्रय दर आदि -**

क्रेता इस लाट में संग्रहित/क्रय होने वाली मात्रा को जो कि अधिसूचित मात्रा से कम या अधिक हो सकती है को रु.................... (अंको मे)... (शब्दों में) प्रति मानक बोरा की क्रय दर पर क्रय करेगा । लाट के क्रय मूल्य के अतिरिक्त क्रेता समय-समय पर प्रवृत्त वन विकास उपकर, मूल्य संवर्धित कर एवं सरचार्ज तथा अन्य कर/उपकर भी अदा करेगा ।

4. **संग्रहण/क्रय एवं संग्रहण/क्रय व्यय के भुगतान एवं तेन्दूपत्ते के फड़ पर परिदान की प्रक्रिया -**

(I) (अ) क्रेता जिला यूनियन की प्राथमिक समिति .... जिसे अनुसूची ''क'' व ''ख'' में अधिक पूर्णता से वर्णित किया गया है, की अनुसूची ख में दर्शायी समस्त फड़ों पर तथा प्रबंध संचालक जिला यूनियन द्वारा निर्धारित किसी अतिरिक्त फड़ पर प्राथमिक समितियों द्वारा या प्रबंध संचालक जिला यूनियन के द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा संग्रहित/क्रय किये गये हरे तेन्दूपत्ते का फड़ पर परिदान संग्रहण की तिथि से अगले दो दिवस तक प्राप्त करेगा । क्रेता सीधे स्वयं संग्राहकों/निजी उत्पादकों को संग्रहण दर/क्रय मूल्य का भुगतान कर तेन्दूपत्ता कदापि प्राप्त नहीं करेगा ।

नोट :- क्रेता प्राथमिक समिति द्वारा उसको दी जाने वाली प्रति मानक गड्डी जिसमें बीड़ी बनाने योग्य 50 तेन्दूपत्ते होंगे, में 2 पत्तों की कमी या वेशी बाबत् कोई आपत्ति नहीं उठायेगा ।

(ब) क्रेता केवल उपरोक्त 4 (I) (अ) में निर्धारित फड़ों पर ही तेन्दूपत्ता का परिदान प्राथमिक समिति से प्राप्त करेगा । अनाधिकृत फड़/स्थल पर उपलब्ध पत्ता इस अधिनियम एवं इस करारनामे के तहत् की जाने वाली अन्य किसी कार्यवाही पर विपरीत प्रभाव डाले बिना राजसात किया जावेगा ।

(स) किसी भी समिति क्षेत्र में आरक्षित/संरक्षित वन सीमा के अन्तर्गत, वनग्राम या चट्टानी क्षेत्र/नदी नाले के बालू युक्त भाग को छोड़कर, अन्य स्थानों में संग्रहण केन्द्र खोलने की अनुमति प्रबन्ध संचालक, जिला यूनियन द्वारा नहीं दी जा सकेगी । स्वीकृति संग्रहण केन्द्र किसी भी दशा में ग्राम की बसाहट से आधा किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थापित नहीं किये जा सकेंगे । आरक्षित/संरक्षित वन सीमा के अन्तर्गत उपरोक्त स्थलों को छोड़कर, अन्य स्थानों पर विशेष परिस्थितियों में यदि आवश्यक हो तो सम्बन्धित प्रबन्ध संचालक, जिला यूनियन की अनुशंसा पर संबंधित वन संरक्षक द्वारा संग्रहण केन्द्र खोलने की अनुमति दी जा सकेगी ।

(II) प्राथमिक समिति शासकीय वनों तथा भूमियों से शासन द्वारा निर्धारित प्रति मानक बोरा की दर से संग्राहक को भुगतान कर तेन्दूपत्ता संग्रहण करेगी एवं संग्रहणकाल के दौरान निजी उत्पादकों से हरा कच्चा बिना बोरों में भरा तेन्दूपत्ता शासन द्वारा निर्धारित प्रति मानक बोरा की दर से क्रय करेगी ।

(III) क्रेता को प्रत्येक संग्रहण केन्द्र (फड़) पर एक प्रतिनिधि रखना होगा । क्रेता ऐसे प्रतिनिधियों की सूची, फड़ का नाम, उनके हस्ताक्षर के प्रमाणित नमूनें, पता एवं फोटो सहित दो प्रतियों में प्रबंध संचालक जिला यूनियन को दिनांक 15.04.2010 तक प्रस्तुत करेगा । यदि प्रबंध संचालक जिला यूनियन द्वारा किसी प्रतिनिधि को कार्य से पृथक करने हेतु निर्देशित किया जाता है तो क्रेता तत्काल उसे इस करारनामे के अधीन किसी भी कार्य करने से पृथक करेगा ।

(IV) संग्रहण काल के दौरान प्रत्येक फड़ पर प्रतिदिन संग्रहित होने वाली मात्रा की जानकारी प्राथमिक समिति से फड़ पर प्राप्त करने का उत्तरदायित्व क्रेता के प्रतिनिधि का होगा । क्रेता के प्रतिनिधि को

संग्रहण पुस्तिका में दर्शाये विवरण के आधार पर तेन्दूपत्ते का परिदान लेना होगा एवं तेन्दूपत्ते का परिदान लेने के तुरन्त बाद उसकी रसीद प्रबंध संचालक जिला यूनियन द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्राथमिक समिति के प्रतिनिधि को देना होगी । केता के द्वारा परिदान प्राप्त किया हुआ पत्ता तथा संग्रहण पुस्तिका में विवरण दर्ज होने के उपरांत इस विवरण के अनुसार संग्रहण तिथि के दो दिवस बाद से परिदान न प्राप्त किया गया तेन्दूपत्ता केता के जोखिम पर संग्रहण केन्द्र पर रहेगा ।

(V) यदि केता संग्रहण की तिथि से अगले दो दिवस के भीतर पत्तों का परिदान नहीं लेता है, तब

(अ) केता करारनामे में उल्लंघन के लिये की जाने वाली कार्यवाही के अतिरिक्त प्रबंध संचालक जिला यूनियन ऐसे पत्ते की समस्त या आंशिक मात्रा का अपने स्वविवेक से :-

(a) केता को परिदान अस्वीकृत कर सकेगा ।

(b) पत्ते को केता को ही निगरानी शुल्क बतौर रूपये 50.00 प्रति मानक बोरा अतिरिक्त धनराशि की वसूली करने के पश्चात् फड़ पर परिदान कर सकेगा । निगरानी शुल्क के अतिरिक्त यदि यथास्थित संघ, प्राथमिक समिति या जिला यूनियन ऐसे पत्तों की, जो कि केता को बाद में परिदत्त किये जायें, सुखाई, बोरों में भराई तथा परिवहन आदि का कार्य करते हैं, तो प्रबंध संचालक जिला यूनियन द्वारा निर्धारित सुखाई, बोरों की कीमत, बोरों में भराई तथा परिवहन आदि का व्यय केता भुगतान करेगा तथा व्यय के संबंध में प्रबंध संचालक जिला यूनियन का निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा ।

(ब) ऐसे पत्ते का निर्वर्तन संघ विक्रय से कर सकता है तथा हानि की राशि केता से वसूल कर सकता है ।

(VI) केता प्राथमिक समिति द्वारा परिदान दिये जाने वाले तेन्दूपत्ते को प्राप्त करने से मना नहीं करेगा जब तक कि पत्ता बीड़ी बनाने के अयोग्य है । केता के द्वारा अस्वीकार किये गये पत्ते पृथक से फड़ पर प्राथमिक समिति के द्वारा रखे जावेंगे तथा उप वनमंडल अधिकारी/वनमंडल अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी के निरीक्षण के लिये प्रस्तुत किये जावेंगे । निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा अपना निर्णय केता के प्रतिनिधि को फड़ पर ही सौंप दिया जावेगा जो कि अन्तिम एवं केता पर बन्धनकारी होगा । केता यदि निर्णय के अगले दो दिवस के भीतर पत्तों का परिदान नहीं लेता है तो तेन्दूपत्ता केता के जोखिम पर रहेगा तथा कंडिका (V)(अ) तथा (ब) के अनुरूप कार्यवाही की जा सकेगी ।

(VII) यदि अधिसूचित मात्रा से अधिक मात्रा का परिदान संग्रहण केन्द्रों पर प्राथमिक समितियों द्वारा केता को दिया जाता है तो वह संग्रहण केन्द्र पर परिदान लेने के लिये बाध्य है ।

(VIII) केता हरे पत्ते का परिदान प्राप्त करने के उपरांत उसका समस्त उपचार, बोरों में भराई, हम्माली, परिवहन एवं गोदामीकरण का कार्य स्वयं करेगा एवं इन कार्यों पर आने वाला व्यय केता ही वहन करेगा । फड़ों पर पत्ते की दीमक एवं अन्य कीटों से रक्षा करने के लिए फड़ का उपयुक्त कीटनाशक से उपचार करने का दायित्व भी केता का है । अतः संग्रहण एवं परिदान के बीच की अवधि में दीमक या अन्य कीट से होने वाली क्षति का दायित्व केता का ही होगा ।

(IX) प्राथमिक समितियों के सीमा विवाद के संबंध में प्रबंध संचालक जिला यूनियन का निर्णय अंतिम एवं केता पर बंधनकारी होगा ।

(X) यदि प्रबंध संचालक, जिला यूनियन द्वारा केता को बोरे तथा सुतली की मात्रा, स्वविवेक से प्रदाय हेतु सूचित की जाती है तो केता उसे प्रबंध संचालक जिला यूनियन द्वारा निर्धारित दर पर भुगतान कर प्राप्त करने के लिये बाध्य होगा । केता को जिला यूनियन द्वारा उपरोक्तानुसार प्रदाय किये जाने वाले बोरों एवं सुतली के लिये राशि प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित के नाम से जिला यूनियन के लिये परिशिष्ट VI में दर्शाये स्थान पर देय किसी भी अनुसूचित बैंक के बैंक ड्राफ्ट/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में मय कर/उपकर दिनांक 30.04.2010 तक भुगतान करना होगा । पूर्ण भुगतान उपरांत ही केता वास्तव में सुतली एवं बोरे प्राप्त कर सकेगा ।

(XI) केता द्वारा जिला यूनियन द्वारा प्रदाय किये गये बोरों पर पूर्व से अंकित मार्का बोरा भरने के पूर्व स्पष्टतः काट दिया जावेगा । यदि परिवहन के दौरान कोई ऐसा बोरा बिना मार्का काटे पाया जाता है तो वह अवैध संग्रहण एवं परिवहन मानकर जप्ती योग्य होगा । केता को जिला यूनियन द्वारा प्रदाय किये गये बोरे तथा स्वयं के द्वारा क्रय किये गये बोरे पर संग्रहण वर्ष, जिला यूनियन का नाम, प्राथमिक समिति का नाम, केता का नाम, फड़ का नाम, फड़ का बोरा क्रमांक तथा गडिड्यों की संख्या हरा रंग से स्पष्ट अंकित करना होगा । गोदाम में काले रंग से गोदाम का बोरा क्रमांक स्पष्ट अंकित करना होगा ।

5. **अतिरिक्त प्रतिभूति राशि का भुगतान -**

यदि संग्रहित मात्रा अधिसूचित मात्रा से 10 प्रतिशत से अधिक है तो संग्रहित मात्रा के आधार पर गणित क्रय मूल्य की राशि की 25 प्रतिशत प्रतिभूति निक्षेप हेतु अतिरिक्त राशि की नगद तथा बैंक गारंटी की राशि केता के द्वारा गोदामीकरण की स्थिति में गोदाम से आंशिक / पूर्ण पत्ता मुक्त होने या 15.07.2010 में जो पहले हो तथा फड़ से पत्ता मुक्त कराने की स्थिति में अतिरिक्त पत्ता मुक्ति के आदेश के जारी होने से पूर्व भुगतान करना होगी । विलम्ब से भुगतान करने की दशा में 0.035 प्रतिशत प्रति दिन की दर से ब्याज देय होगा ।

6. **पत्तों की निकासी एवं केता के द्वारा शेष देय राशि का भुगतान -**

(1) (क) यदि केता चाहे तो वह अधिसूचित मात्रा के आधार पर समस्त अवशेष देय राशि का भुगतान कर फड़ से अधिसूचित मात्रा तक तेन्दूपत्ता जहां ले जाना चाहे, उसके लिए अधिनियम, नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप परिवहन अनुज्ञा पत्र प्राप्त कर ले जा सकता है । इस समस्त अवशेष देय राशि में संघ को इस करारनामे के अंतर्गत देय क्रय मूल्य एवं देय समस्त कर सम्मिलित होंगे । संग्रहित मात्रा के अधिसूचित मात्रा से अधिक होने की दशा में अतिरिक्त अवशेष देय राशि के भुगतान के उपरांत ही तेन्दूपत्ते को फड़ से परिवहन करने की अनुमति दी जावेगी ।

(ख) यदि केता समस्त अवशेष देय राशि भुगतान कर तेन्दूपत्ते को फड़ से मुक्त नहीं कराना चाहे और देय राशि को किश्तों में पटाने की सुविधा प्राप्त करने की दृष्टि से पत्ते को छत्तीसगढ़ प्रदेश के भीतर केता एवं संघ के दोहरे ताले में गोदाम में रखने के लिए लिखित इच्छा दिनांक 15.04.2010 या केता नियुक्ति आदेश की तिथि से 21 दिवस की अवधि में से जो भी बाद में हो, तक व्यक्त करता है तो उसे जिला यूनियन के प्रबंध संचालक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इस विशिष्ट उद्देश्य के लिये अनुमोदित निजी गोदाम में जिसका किराया उसे देना होगा, निरापद रखने के लिए अनुमति इस अधिसूचना के साथ संलग्न गोदाम किराये का त्रिपक्षीय करारनामा (परिशिष्ट VII) निष्पादन किये जाने पर ही दी जावेगी । फड़ों से गोदाम तक पत्तों के परिवहन की अनुमति इसके उपरान्त दी जावेगी । तेन्दूपत्ते के गोदाम में निरीक्षण के लिये दीवाल से न्यूनतम 2 फीट की दूरी पर ही स्टेक्स् लगाये जावेंगे । यदि प्रबंध संचालक, जिला यूनियन दिनांक 31.03.2010 या केता नियुक्ति आदेश की तिथि से 15 दिवस की अवधि में से जो भी बाद में हो, तक पत्र जारी कर निर्देशित करता है कि केता वन विभाग/संघ/प्राथमिक समिति/अन्य के गोदाम को किराये पर लेवे तो परिशिष्ट VII में करारनामा निष्पादन करना आवश्यक नहीं होगा तथा केता उसको रु. 18/- प्रति वास्तविक बोरा किराये पर लेने के लिये बाध्य होगा तथा गोदाम में पत्ता दिनांक 15.04.2011 तक रख सकेगा, परन्तु यदि केता चाहे तो रु. 18/- प्रति वास्तविक बोरा का भुगतान कर पत्ते को अपने गोदाम में केता एवं संघ के दोहरे ताले में भंडारित कर सकेगा । केता को प्रबंध संचालक जिला यूनियन द्वारा निर्धारित भंडारण क्षमता के आधार पर गोदाम किराये का एक मुश्त भुगतान दिनांक 15.05.2010 तक करना होगा ।

(ग) प्रबंध संचालक जिला यूनियन के द्वारा निर्धारित गोदाम प्रभारी/अधिकृत व्यक्ति के द्वारा दोहरे ताले में भंडारित किये जाने के पूर्व गोदाम परिसर में तेन्दूपत्ता के बोरों में गड्डियों की संख्या की जांच के लिए प्रत्येक ट्रिप में 5 प्रतिशत बोरों की गड्डी गिनकर सत्यापित की जावेगी तथा सत्यापन का पंचनामा तैयार किया जावेगा । सत्यापन में प्रत्येक फड़ के अनुपातिक संख्या में बोरे सम्मिलित किये जावेंगे । फड़वार गिनती के दौरान गड्डियों की संख्या में औसत अधिकता जितने प्रतिशत आवेगी वह अधिकता उस फड़ से आये ट्रिप के सभी बोरों के लिए मान्य की जावेगी जिसके लिये केता को केता करारनामें के अन्तर्गत किसी

अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अतिरिक्त मात्रा हेतु क्रय मूल्य एवं देय करों का अतिरिक्त भुगतान करना होगा । सत्यापन के लिए मजदूर केता के द्वारा उपलब्ध कराये जावेंगे परन्तु आवश्यकतानुसार संघ भी मजदूर लगा सकेगा तथा सत्यापन का व्यय जिसका निर्धारण प्रबन्ध संचालक जिला यूनियन द्वारा किया जावेगा केता के द्वारा भुगतान सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 21 दिवस के भीतर किया जावेगा ।

(घ) केता देय राशि अर्थात् देय करों सहित पूर्ण क्रय मूल्य का भुगतान प्रबंध संचालक जिला यूनियन के कार्यालय में चार बराबर किश्तों में, परिशिष्ट I की शर्त क्रमांक 13 में दर्शाये अनुसार निम्न तिथियों को या उसके पूर्व करेगा ।

किश्त	किश्त की तिथि
प्रथम	04.10.2010
द्वितीय	19.11.2010
तृतीय	04.01.2011
चतुर्थ	15.02.2011

(2) **सम्पूर्ण क्रय मूल्य के भुगतान पर रिबेट-**

यदि केता द्वारा प्रथम किश्त की देय दिनांक तक किसी लाट का सम्पूर्ण क्रय मूल्य समस्त देय करों सहित भुगतान किया जाता है तो क्रय मूल्य की राशि के 2% के बराबर राशि की छूट दी जावेगी । यदि केता इस सुविधा का लाभ उठाना चाहता है, तो वह सम्पूर्ण क्रय मूल्य की 98% राशि तथा सम्पूर्ण क्रय मूल्य (100%) पर समस्त देय करों की राशि का भुगतान करेगा । यदि अधिसूचित मात्रा से अधिक/कम संग्रहण होता है तो यह छूट संग्रहित मात्रा के लिये प्राप्त होगी ।

(3) केता के द्वारा एक किश्त का भुगतान करने पर उसे गोदाम से एक चौथाई तेंदूपत्ता ले जाने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा । किश्तों का या अन्य किसी देय राशि का भुगतान निर्धारित तिथि तक न करने पर 0.035 प्रतिशत प्रति दिन की दर से विलंबित भुगतान पर ब्याज वसूल किया जावेगा । यदि किसी किश्त की देय तिथि को सार्वजनिक अवकाश रहता है, तो ब्याज की गणना के लिये देय तिथि आगामी कार्य दिवस मानी जावेगी ।

(4) पत्ते केता की अभिरक्षा, देखरेख, पर्यवेक्षण तथा जोखिम पर, लेकिन प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के नियंत्रण में रखे जाएंगे और इस शर्त पर कि गोदाम में संघ का ताला लगाकर अथवा किसी ऐसी अन्य प्रक्रिया, जैसी कि प्रबंध संचालक, जिला यूनियन ने आदेशित की हो, के अनुसार अभिगमन तथा नियंत्रण रखने का पूर्ण अधिकार होगा ।

(5) केता को प्रारम्भ में गोदाम के अंदर रखे जाने वाले तेन्दूपत्ते का बीमा अग्नि एवं चोरी आदि से होने वाली संभावित हानि के लिये अनिवार्य रूप से कराना होगा । अधिसूचित मात्रा के लिए क्रय मूल्य एवं देय कर के योग की राशि का दिनांक 21.04.2010 से 30.04.2011 तक की अवधि का बीमा कराकर बीमा पालिसी की सत्यापित फोटो प्रति दिनांक 21.04.2010 तक केता प्रबंध संचालक जिला यूनियन के कार्यालय में सौपेगा । अधिसूचित मात्रा से अधिक संग्रहण होने की दशा में दिनांक 16.06.2010 या फड़ से परिवहन प्रारंभ होने में जो भी पहले हो तक अतिरिक्त राशि की दिनांक 30.04.2011 तक की अवधि की बीमा पालिसी की सत्यापित फोटो प्रति प्रबंध संचालक जिला यूनियन के कार्यालय में केता सौंपेगा । इसके अतिरिक्त केता यह भी सुनिश्चित करेगा कि तेन्दूपत्ते का बीमा ऐसी राशि के लिये होगा, जो केता के उपर बकाया देय राशि से किसी भी समय कम नहीं होगा । फड़/गोदाम से परिवहन अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने की अनुमति अथवा जिला यूनियन कार्यालय से परिदान आदेश प्राप्त करने की अनुमति निर्धारित राशि की बीमा पालिसी केता के द्वारा प्रबंध संचालक जिला यूनियन कार्यालय में दिये जाने पर ही होगी । अग्नि या चोरी की दुर्घटना के कारण यदि कोई हानि होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति बीमा कंपनी के द्वारा सीधे संघ को देय होगी और इस प्रकार का प्रावधान प्रबंध संचालक, जिला यूनियन की संतुष्टि के अधीन केता को बीमा पालिसी में कराना होगा । यह गोदामीकरण सुविधा की विशिष्ट शर्तें हैं । यदि किसी भी कारण बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति की रकम संघ को अदा नहीं करती तो केता उसके भुगतान के लिए बाध्य

होगा । यदि बीमा कंपनी द्वारा किये गये भुगतान तथा देय राशि में कोई अंतर है तो यह क्रेता अदा करेगा । यदि किश्तों की निर्धारित तिथि के पश्चात क्षतिपूर्ति भुगतान प्राप्त होता है तो क्रेता देय राशि पर 0.035 प्रतिशत प्रति दिन की दर से ब्याज अदा करेगा ।

7. बैंक गारंटी के विरूद्ध पत्ते के परिदान की सुविधा-

(क) निविदा सूचना की कंडिका 9 (II) के प्रावधान के अध्यधीन **यदि** क्रेता बैंक गारंटी के विरूध्द पत्ते के परिदान की सुविधा का लाभ उठाना चाहता है तो वह क्रय मूल्य के 30 प्रतिशत के बराबर राशि की किसी अनुसूचित बैंक की गारंटी प्रथम किस्त की देय तिथि से पूर्व दे सकेगा । ऐसी स्थिति में क्रेता के द्वारा पत्ते का परिवहन केवल गोदाम से ही किया जा सकेगा, न कि फड़ से । पत्तों का परिवहन निम्नानुसार एवं निम्न शर्तों तथा निबंधनों के अधीन किया जाएगाः-

(I) बैंक गारंटी 30.04.2011 तक वैध हो तथा इसकी पुष्टि बैंक द्वारा हो गई हो । गारंटी प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के पक्ष में होगी ।

(II) बैंक गारंटी की पुष्टि होने के पश्चात उसे एक चौथाई पत्ते की निकासी / परिवहन की अनुमति दी जाएगी, परंतु ऐसा करने के पूर्व प्रथम किश्त से संबंधित देय कर कंडिका -8 के अनुसार उससे वसूल कर लिया जाएगा ।

(III) क्रेता के द्वारा शर्त क्रमांक-6 1 (ग) के अनुसार परिगणित प्रथम किश्त कर सहित पटाने पर उसे एक चौथाई पत्ता और दे दिया जाएगा और इसी प्रकार दूसरी किश्त पटाए जाने पर उसे शेष एक चौथाई पत्ता दे दिया जाएगा और तद्नुसार

(ख) (I) क्रेता के द्वारा किसी भी किश्त की रकम समय पर न पटाने पर उसके द्वारा दी गई बैंक गारंटी का नकदीकरण कर लिया जाएगा तथा बैंक से रकम प्राप्त होने तक देय किश्त की रकम पर 0. 035 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से ब्याज भी बैंक गारंटी से वसूल किया जाएगा । अंतिम किश्त के भुगतान के उपरांत बैंक गारंटी मुक्त कर दी जावेगी ।

(II) बैंक गारंटी प्रस्तुत करने से क्रेता, संघ को वह देय राशि जिस हेतु बैंक गारंटी दी गई है के भुगतान किये जाने के उत्तरदायित्व अथवा बाध्यता से मुक्त नहीं होगा । संघ के बैंक गारंटी के नगदीकरण के अधिकार पर कोई विपरीत प्रभाव डाले बिना संघ को समस्त देय राशि के भुगतान का पूर्ण उत्तरदायित्व क्रेता का है ।

(III) यदि संघ उसको देय किसी भी राशि को बैंक गारंटी के किसी भी कारण से नगदीकरण न होने की वजह से वसूल नहीं कर पाता है, तो ऐसी देय राशि क्रेता के द्वारा भुगतान योग्य होगी और उसके द्वारा ऐसा भुगतान न करने पर ऐसी राशि संघ के बैंक गारंटी के नगदीकरण के अधिकार पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव डाले बिना भू-राजस्व की बकाया के बतौर वसूली योग्य होगी और ऐसी राशि क्रेता की अन्य ऐसी राशि जो कि संघ के पास इस करारनामों के प्रावधानों के अंतर्गत उपलब्ध हो या संघ एवं क्रेता के बीच अन्य किसी प्रचलित करारनामे अथवा भविष्य में निष्पादित किए जाने वाले करारनामे के अंतर्गत संघ के पास उपलब्ध हो, से भी वसूली योग्य होगी ।

(IV) इस करारनामे के अंतर्गत दी गई बैंक गारंटी का यदि नगदीकरण किसी भी कारण से नहीं होता है जिसके फलस्वरूप संघ को देय राशि प्राप्त नहीं होती है तो इसे इस करारनामे का विशिष्ट उल्लंघन माना जाएगा, जिसके कारण यह करारनामा समाप्त किया जा सकेगा और क्रेता को 5 वर्ष की कालावधि तक के लिये काली सूची में वन संरक्षक के द्वारा दर्ज किया जा सकेगा एवं क्रेता करारनामे की कंडिका 14 के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी ।

(V) इस कंडिका के प्रयोजन हेतु बैंक गारंठी निविदा सूचना के साथ संलग्न परिशिष्ट (V) में दिए गए प्रारूप में प्रस्तुत की जाऐगी ।

8. करों का भुगतान-

(I) इस करार के अधीन संघ को देय कोई भी किश्त अथवा राशि तब तक दी गई नहीं मानी जायेगी, जब तक उस पर देय समस्त करों का भी भुगतान न कर दिया जाए ।

(II) क्रेता छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2005 तथा उसके यथा संशोधित उपबंधों के अनुसार मूल्य संवर्धित कर तथा वन विकास उपकर का भुगतान परिशिष्ट I की शर्त क्रमांक 13 में दर्शाये विवरण के अनुसार करेगा ।

(III) क्रेता, जब तक उसे आयकर प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में छूट नहीं दे दी गई हो, आयकर अधिनियम 1961 तथा उसके यथा संशोधित उपबंधों के अनुसार आयकर का भुगतान उपरोक्तानुसार प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के कार्यालय में करेगा ।

9. विक्रय प्रमाण पत्र जारी करना-

संघ या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या वन मंडलाधिकारी क्रेता को तेंदूपत्तों के परिदान के पश्चात् छत्तीसगढ़ तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) नियमावली, 1966 के अंतर्गत प्रावधानित प्रारूप "ठ" में उसका विक्रय प्रमाण - पत्र प्रदान करेगा ।

10. करारनामे का अनुपालन-

यदि पूर्वोक्त एवं निविदा सूचना में विनिर्दिष्ट परिवहन/निकासी तथा क्रय की शर्तों का पूर्णतः पालन/परिपालन नहीं किया जाता है, तो पत्तों को क्रय किया गया नहीं समझा जावेगा ।

11. प्रतिभूति निक्षेप-

(I) क्रेता अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों तथा भारतीय वन अधिनियम, 1927 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के द्वारा या अधीन जहां तक कि वे इस करार के संदर्भ में लागू होते हों, उसके द्वारा किये जाने के लिए अपेक्षित समस्त कार्यों तथा कर्तव्यों को करने तथा निषिद्ध किये गये किसी कार्य के स्वयं द्वारा उसके सेवकों तथा अभिहस्तांकितियों द्वारा किये जाने से विरत रहने के लिए स्वयं को आबद्ध करता है और अपने द्वारा तथा अपने सेवकों तथा अभिहस्तांकितियों द्वारा इस करार के निबंधनों तथा शर्तों के सम्यक् पालन तथा अनुपालन किए जाने के लिए वन संरक्षक के पक्ष में उसके द्वारा निविदा सूचना के प्रावधानों के अनुसार रूपये.................................. की राशि प्रतिभूति के रूप में नियमानुसार निक्षेपित की गई है ।

(II) यह प्रतिभूति निक्षेप, यथास्थिति या तो पूर्णतः या आंशिक रूप में वन मण्डलाधिकारी द्वारा अधिनियम, नियमावली, करारनामा तथा इन शर्तों के उपबंधों के अधीन क्रेता से वसूली योग्य किसी रकम, क्रय मूल्य सहित, यदि कोई हो, के प्रति समायोजित किया जा सकता है और समस्त ऐसी कटौतियों की पूर्ति क्रेता द्वारा इस आशय की सूचना जारी होने के 15 दिन के भीतर उतनी ही रकम जमा करके की जावेगी ।

(III) यदि क्रेता से वसूल की जाने वाली बकाया राशि प्रतिभूति निक्षेप की रकम से अधिक हो, तो अधिक होने वाली रकम, जब तक कि उसकी पूर्ति वन मण्डलाधिकारी को उस आशय की सूचना जारी होने के पन्द्रह दिन के भीतर न की जाये, भू-राजस्व के बकाया की बतौर वसूली के योग्य होगी ।

(IV) प्रतिभूति निक्षेप या अवशेष राशि (बैंक गारंटी को छोड़कर) जैसी भी स्थिति हो, में से क्रय मूल्य की 5 प्रतिशत की राशि बैंक गारंटी या नगद राशि, जैसा कि क्रेता चाहे, रोकते हुए, वन मण्डलाधिकारी की संतुष्टि कि क्रेता के द्वारा क्रेता करारनामें के समस्त निबंधनों एवं शर्तों, अधिनियम, नियमावली तथा निविदा सूचना की शर्तों का पालन किया गया है और कोई भी राशि उसके विरूद्ध शेष नहीं निकलती है, के पश्चात् गोदाम से प्रदाय की दशा में अंतिम किश्त के विरूध्द तथा फड़ से पत्ता मुक्त होने की दशा में अंतिम भुगतान के विरूद्ध समायोजित कर ली जावेगी ।

(V) उपरोक्तानुसार उप कडिका (IV) में दर्शाये समायोजन के उपरान्त अवशेष प्रतिभूति निक्षेप की बैंक गारंटी/नगद राशि वन मण्डलाधिकारी की संतुष्टि, कि क्रेता के द्वारा क्रेता करारनामें के समस्त निबंधनों एवं शर्तों, अधिनियम, नियमावली तथा निविदा सूचना की शर्तों का पालन किया गया है

और कोई भी राशि उसके विरूद्ध शेष नहीं निकलती है, के पश्चात् क्रेता को वापस कर दी जावेगी ।

12. अधिनियम का उल्लंघन आदि-

क्रेता यह करार करता है कि वह उसके अथवा उसके द्वारा नियोजित किए गए व्यक्तियों के द्वारा अधिनियम, नियमावली और इस करारनामे के प्रावधानों के किए गए प्रत्येक उल्लंघन के लिए संघ/शासन को रूपया 1000/- (एक हजार) तक की राशि की देनगी करेगा ।

13. शास्तियां-

यदि क्रेता करार की किसी भी शर्त को भंग करें और यदि ऐसे भंग के कारण करार को समाप्त करना प्रस्तावित न हो तो जिला यूनियन के प्रबंध संचालक प्रत्येक भंग के लिए ऐसी शास्ति जो रूपये 1000/- (एक हजार) से अधिक न हो, अधिरोपित कर सकेगा। यदि शास्ति की राशि रूपये 500/- (पांच सौ) से अधिक हो, तो इस आदेश के विरूद्ध आदेश जारी होने के 30 दिन की अवधि के भीतर अपील वन संरक्षक को की जा सकेगी, जिसका विनिश्चय अंतिम तथा बंधनकारी होगा ।

14. क्रेता के करारनामे की समाप्ति-

(I) यदि क्रेता प्रथम किश्त तृतीय किश्त की देय तिथि के पूर्व या द्वितीय किश्त चतुर्थ किश्त की देय तिथि के पूर्व या तृतीय किश्त चतुर्थ किश्त की देय तिथि के पूर्व या अंतिम किश्त उसकी देय तिथि के 15 दिन के अन्दर या अन्य कोई देय राशि 15 दिन के अन्दर अदा नहीं करता है या इस प्रलेख के उपबंधों में से किसी भी उपबंध का अनुवर्तन करने में चूक करता है, तो ऐसे किन्हीं भी अधिकार तथा उपचारों पर जो वन संरक्षक को प्राप्त हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वन संरक्षक अपने विवेक पर इस करार को क्रेता को 15 दिन का नोटिस देकर एवं उसे सुनवाई का अवसर देकर समाप्त कर सकेगा और क्रेता का नाम पाँच वर्ष तक की कालावधि के लिये काली सूची में दर्ज कर सकेगा ।

(II) करार की समाप्ति का आदेश क्रेता को व्यक्तिशः परिदत्त किया जावेगा या रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा जावेगा । करार की समाप्ति करार के समाप्त करने के आदेश के दिनांक से प्रभावी होगी ।

(III) करार की समाप्ति पर संघ, निम्नलिखित के लिए हकदार होगा :-

(अ) संपूर्ण प्रतिभूति निक्षेप की राशि को अधिहरित करने ।

(ब) गोदाम में रखे तेंदूपत्ते के स्कंध, जिसका भुगतान कर दिया गया है परन्तु गोदाम से निकासी नहीं की हो को संघ के पक्ष में अधिहरित करने तथा गोदाम में दोहरे ताले से क्रेता का नियंत्रण समाप्त करने, परंतु यदि क्रेता शर्त 14 (IV) के अनुसार लाट के पुनर्जीवन का इच्छुक है, तो क्रेता करारनामे की शर्त क्रमांक 6 (5) के अनुसार 01.05.2011 से न्यूनतम 31.10.2011 तक की बीमा पालिसी प्रबन्ध संचालक जिला यूनियन के कार्यालय में प्रस्तुत करेगा तथा लाट को किसी अन्य क्रेता को पुनः विक्रय तक वह गोदाम परिसर में चोरी तथा अग्नि से बचाव हेतु सुरक्षाकर्मी रख सकेगा ताकि पुनर्जीवन की दशा में पत्ते की मात्रा के संबंध में कोई विवाद न रहें । करार समाप्ति पर तुरन्त गोदाम से अपने ताले को हटाने का दायित्व क्रेता का होगा तथा इसकी पुष्टि हेतु वह प्रबंध संचालक, जिला यूनियन से पत्र प्राप्त करेगा ।

(स) (एक) गोदाम में रखे तेंदूपत्ते का, जिसके लिये देय राशि का भुगतान नहीं किया गया है तथा गोदाम में रखे तेंदूपत्ते के उस स्कंध का जो संघ के पक्ष में शर्त क्रमांक 14 (III) (ब) के अधीन अधिहरित किया गया है का विक्रय करने और हानि की वसूली करने । ऐसी हानि क्रेता द्वारा कंडिका 7 के अंर्तगत प्रस्तुत बैंक गारंटी, यदि प्रस्तुत की गई हो, के नगदीकरण तथा साथ ही गोदाम में रखे तेंदूपत्ते, जिसके लिये देय राशि का भुगतान नहीं किया गया है तथा गोदाम में रखे तेंदूपत्ते, जो संघ के पक्ष में शर्त क्रमांक 14 (III) (ब) के अधीन अधिहरित किया गया है, के विक्रय से भी वसूली योग्य होगी । यदि लाट का पुनः विक्रय करारनामा समाप्ति के आदेश के उपरांत प्रथम निविदा/नीलाम में नहीं हो पाता है अथवा पुनः विक्रय की स्वीकृति के पूर्व तेन्दूपत्ता अग्नि से नष्ट हो जाता है तो लाट का विक्रय मूल्य शून्य मानकर क्रेता से हानि वसूली की कार्यवाही की जावेगी । यदि पश्चातवर्ती निविदा/नीलाम में लाट का पुनर्विक्रय हो जाता है तो प्राप्त

क्रय मूल्य अथवा बीमा से प्राप्त राशि का समायोजन हानि की राशि में किया जावेगा । यदि हानि की वसूली हो चुकी हो तो ऐसी दशा में प्राप्त क्रय मूल्य क्रेता को भुगतान कर दिया जावेगा परन्तु ऐसी राशि पर क्रेता को कोई ब्याज देय नहीं होगा । करारनामा समाप्त होने की दशा में प्रथम क्रेता से हानि की वसूली हेतु गणना निम्नानुसार की जावेगी :-

संबंधित निविदा/नीलाम से समस्त करों सहित संभावित प्राप्तियां (+) पुनः निर्वर्तन तक गोदामीकरण, पर्यवेक्षण तथा बीमा इत्यादि का व्यय (-) पश्चातवर्ती निविदा/नीलाम से समस्त करों सहित प्राप्तियां ।

(दो) इसके पश्चात् भी कोई हानि की वसूली शेष हो तो, ऐसी शेष हानि की राशि को भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करने,

(तीन) यदि ऐसे पुनः विक्रय पर लाट के लिये देय राशि से अधिक राशि प्राप्त होती है तो, संघ पूर्ण राशि प्रतिधारित करने का हकदार होगा और क्रेता का उस पर कोई अधिकार या दावा नहीं होगा ।

(द) हानि की वसूली के लिये किये गये समस्त खर्चे एवं व्यय वसूल करने,

(ई) अधिरोपित की गई समस्त शास्तियां तथा निर्धारित क्षतिपूर्ति, जिसका भुगतान नहीं हुआ हो वसूल करने,

(IV)(अ) यदि करारनामा समाप्ति के उपरांत एवं पत्तों की पुनः विक्रय की कार्यवाही के पूर्व परन्तु दिनांक 30.09.2011 के पश्चात नहीं, बकायादार क्रेता द्वारा संघ को देय समस्त धनराशि जिसमें देय राशि, ब्याज, समस्त देयकर एवं उपकर, अधिरोपित शास्तियां तथा रूपये 10000/- पुर्नजीवन शुल्क आदि विशेष रूप से सम्मिलित होंगे, का पूर्ण भुगतान प्रबंध संचालक जिला यूनियन के कार्यालय में कर दिया जाता है तथा यदि क्रेता करारनामा की शर्त क्रमांक 6(5) के अनुसार 31.10.2011 तक की बीमा पालिसी क्रेता द्वारा जिला यूनियन कार्यालय में जमा कर दी जाती है, तो संघ के प्रबंध संचालक अपने स्वविवेक से उक्त करार को पुर्नजीवित कर सकेंगे और करार अवधि को आवश्यक होने पर 30.09.2011 तक बढ़ा सकेंगे तथा उपरोक्तानुसार समस्त देय राशि एवं पुर्नजीवन शुल्क के पूर्ण भुगतान के उपरांत ही तेंदूपत्ते के स्टाक को निकासी/परिवहन की अनुमति दी जावेगी ।

(ब) यदि क्रेता शर्त क्रमांक 14(IV)(अ) में वर्णित सुविधा नहीं लेना चाहता है एवं लाट के अवशेष क्रय मूल्य के भुगतान की किश्तवार सुविधा प्राप्त करना चाहता है तथा यदि क्रेता करारनामा की शर्त क्रमांक 6(5) के अनुसार 31.10.2011 तक की बीमा पालिसी क्रेता द्वारा जिला यूनियन कार्यालय में जमा कर दी जाती है, तो क्रेता के आवेदन पर संघ के प्रबंध संचालक यदि चाहें तो स्वविवेक से क्रेता को किश्तवार भुगतान की सुविधा दे सकेंगे एवं उक्त करार को पुनर्जीवित कर सकेंगे, परन्तु इस स्थिति में क्रेता को देय किश्तों की पूर्ण राशि, समस्त देय कर/उपकर, अधिरोपित शास्तियों की राशि, किश्तों की निर्धारित तिथि से विलम्बित अवधि के लिये देय राशि पर 0.045% प्रतिदिन की दर से ब्याज एवं रूपये 10000/- पुर्नजीवन शुल्क देना होगा । पुनरीक्षित किश्तों की तिथियां प्रबंध संचालक, संघ स्वविवेक से निर्धारित कर सकेंगे, परन्तु किस्त की कोई भी देय तिथि या बढ़ी हुई करार अवधि दिनांक 30.09.2011 के उपरांत नहीं होगी । क्रेता को आवेदन के साथ रूपये 10000/- पुर्नजीवन शुल्क एवं न्यूनतम एक देय किश्त की राशि मय देय कर/उपकर तथा किश्त पर देय ब्याज के साथ जमा करना होगी । संशोधित किश्त की तिथि को किश्त एवं देय ब्याज की राशि जमा न करने पर वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक के द्वारा बगैर कोई कारण बताओ सूचना पत्र के क्रेता करारनामा पुनः समाप्त कर दिया जावेगा । बढ़ी हुई करार अवधि में समस्त देय राशियों का भुगतान न होने पर करारनामा स्वमेव पुनः समाप्त हो जावेगा ।

(V) जब भी करार को पुनर्जीवित किया जाता है तो समाप्ति के कारण अधिहरित प्रतिभूति निक्षेप स्वतः प्रत्यावर्तित हो जावेगी तथा क्रेता पुनः गोदाम पर संघ के साथ दोहरे ताला लगा सकेगा ।

(VI) तथापि यदि क्रेता का करारनामा समाप्त नहीं किया गया है एवं करार अवधि समाप्त हो चुकी है परन्तु पूर्ण देय राशि का भुगतान नहीं किया गया है, तो भी संघ शर्त क्रमांक 14(III) के अनुसार हकदार होगा तथा क्रेता शर्त क्रमांक 14 (IV) तथा V के अनुसार कार्यवाही कर सकेगा ।

15. लेखाओं का रख-रखाव -

क्रेता ऐसे प्रपत्रों में ऐसे लेखा एवं ऐसे अभिलेख संग्रहण केन्द्रों, गोदामों एवं अन्य स्थानों पर रखेगा, तथा ऐसी पाक्षिक विवरणियां ऐसी तिथियों को या उनके पूर्व प्रस्तुत करेगा जैसा जिला यूनियन के प्रबंध संचालक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जाए । संग्रहण केन्द्रों, गोदामों एवं अन्य स्थानों पर रखे जाने वाले अभिलेख किसी भी वन अधिकारी एवं प्रबंध संचालक जिला यूनियन द्वारा अधिकृत व्यक्ति को निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किये जावेंगे । प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के द्वारा इस संबंध में दिये गये निर्देशों का पालन न करना क्रेता कराररनामे का उल्लघन माना जावेगा ।

16. क्रेता के द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन-

क्रेता ऐसे समस्त कार्यों एवं कर्तव्यों, जो उसके द्वारा किये गये जाने के लिए अपेक्षित है, का निर्वहन करेगा और अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन निषिद्ध ऐसे कार्य जहां तक ये इस करार के संदर्भ में असंगत न हो, स्वयं के या उसके सेवकों या अभिकर्ताओं द्वारा किये जाने से प्रविरत रहेगा ।

17. (I) शाखकर्तन-

(अ) लाट की समस्त फड़ों के राजस्व एवं वन क्षेत्रों में शाखकर्तन का कार्य प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के द्वारा कराया जावेगा ।

(ब) क्रेता लाट की समस्त फड़ों के वन क्षेत्रों में शाखकर्तन (Pruning) तथा तेन्दूपत्ता संग्रहण इत्यादि के दौरान दिनांक 15.02.2010 से 31.05.2010 तक सुनिश्चित करेगा कि इन कार्यों से वनों को आग एवं तेन्दूपत्ता के वृक्षों को अवैध कटाई से हानि न पहुँचे । उक्त अवधि में वृक्षों की अवैध कटाई अथवा तेन्दू के वृक्षों की शाखाओं की कटाई और वनों को अग्नि लगाना पूर्णतः वर्जित होंगे । क्रेता न केवल उपरोक्त हानि से रोकेगा, वरन वन विभाग को उपरोक्त हानि के होने की सूचना तथा उसके रोकने में सक्रिय और सामयिक सहयोग देगा । लाट की समस्त फड़ों के वन क्षेत्रों में दिनांक 15.02.2010 से 31.05.2010 की अवधि के दौरान वनों में पाई गई तेन्दू वृक्षों की अवैध कटाई और अग्नि से हुई हानि की पूर्ण जवाबदारी क्रेता की होगी ।

(II) वनों की हानि-

यदि लाट की किसी फड़ के वन क्षेत्र में दिनांक 15.02.2010 से 31.05.2010 तक शाखकर्तन या तेन्दूपत्ता संग्रहण कार्यों के दौरान वनों को हानि होना पाया जाता है, तो क्रेता यदि वनों को उपरोक्त हानि अर्थात् तेन्दू वृक्षों की अवैध कटाई या आग से नहीं बचा पाता है या अवैध शिकार करता है अथवा कराने में लिप्त पाया जाता है तो हानि की राशि जिसका कि निर्धारण वन संरक्षक के द्वारा किया जावेगा, जो कि अन्तिम एवं क्रेता पर बंधनकारी होगा, की वसूली के अतिरिक्त संग्रहित मात्रा के आधार पर क्रय मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर तक की राशि क्रेता द्वारा जमा की गई 25 प्रतिशत की प्रतिभूति की राशि में से वन संरक्षक द्वारा अधिहरित कर ली जावेगी ।

18. तेंदूपत्ता का परिवहन और अनुज्ञापत्र जारी करना-

क्रेता तेंदूपत्तों का परिवहन सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये परिवहन अनुज्ञा पत्र के बिना जैसा कि अधिनियम और नियमावली में अनुध्यात है, नहीं करेगा । लाट का अंतिम परिवहन अनुज्ञा पत्र क्रेता के द्वारा समस्त देय राशियों के भुगतान करने पर ही जारी किया जावेगा ।

19. स्टाम्प शुल्क का भुगतान-

छत्तीसगढ़ राज्य में लागू हुये रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 और न्यायालय फीस अधिनियम 1870 और उनके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों का सभी समयों पर क्रेता पालन करेगा ।

20. प्रथम प्रभार-

(एक) यथास्थिति क्रय मूल्य या उनकी अतिशेष ऐसी समस्त रकम, जो निविदा सूचना के निबंधनों तथा शर्तों तथा इस करार के निबंधनों तथा शर्तों, अधिनियम और नियमों के अधीन देय है, केता द्वारा तेंदूपत्ता के लिए गये परिदान पर प्रथम प्रभार होगी ।

(दो) केता तेंदूपत्तों का निर्यात या बीड़ी बनाने के लिए उनका उपयोग या किसी अन्य प्रकार से उनका व्ययन तब तक नहीं करेगा, जब तक कि यह प्रभार पूर्णतः उन्मोचित न कर दिया जाये ।

21. न्यायालय की अधिकारिता-

(एक) इस करार के अधीन उद्भूत होने वाला कोई विवाद, छत्तीसगढ़ न्यायालयों की अधिकारिता अध्याधीन होगा ।

(दो) यदि कोई केता शासन/संघ के विरूद्ध न्यायालय में जाता है तथा निर्णय शासन/संघ के पक्ष में होता है तो केता न्यायालयीन कार्यवाही के कारण वनोपज के मूल्य में हुई कमी के लिये उत्तरदायी होगा, इसकी वसूली केता से ब्याज सहित की जावेगी ।

जिसके साक्ष्य में, इसमें उपर लिखित दिनांक तथा सन् को वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक ने यहां अपने हस्ताक्षर किये हैं तथा अपने कार्यालय की सील लगाई है और उपर नामित केता (केताओं) ने अपने/उनके अपने-अपने हस्ताक्षर किये हैं ।

निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में वन संरक्षक एवं संघ के पदेन महाप्रबंधक द्वारा हस्ताक्षर किये गये, सील लगाई गई और परिदत्त किया गया ।

साक्षीगणः-

1. ....
(हस्ताक्षर)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा उनकी ओर से

नाम एवं डाक का पूरा पता

2. ....
(हस्ताक्षर)

वन संरक्षक एवं संघ के पदेन महाप्रबंधक

नाम एवं डाक का पूरा पता

---------------------- वृत्त

निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में उपर नामित केता द्वारा हस्ताक्षर किये गयेः-

साक्षीगणः-

1. ....
(हस्ताक्षर)
नाम एवं डाक का पूरा पता

केता/केताओं के हस्ताक्षर
नाम-...................................
डाक का पता-.........................

2. ....
(हस्ताक्षर)
नाम एवं डाक का पूरा पता

ANNEXURE – V

(Annexure to Tender Notice No. T.P. (2010)-I dated 01.12.2009)
DEED OF BANK GUARANTEE
(Condition 9 of Tender Notice)

In consideration of the Chhattisgarh State Minor Forest Produce (Trading & Development) Co-operative Federation Limited, A-25, V.I.P. Estate, Near V.I.P. Club, Khamardih, Shankar Nagar, Raipur (hereinafter called the 'Federation', which expression shall, where the context so admits, include its successors in office), having agreed to exempt Messers/Shri ……………………….……………………………………………………… S/o ……………………………………………… of Village ……………………………… Police Station ……………….….. Post ………………… District of ……………….. State…………………………………….. (hereinafter called the 'Purchaser or Kreta',which expression shall, where the context so admits, include his heirs, executors, administrators and representatives) from immediate full payment of purchase price for Tendu leaves Lot(s) purchased by him to the extent of Rs……………………………………. (Rupees ……………………………… only) in cash (hereinafter called the said amount) and accept in lieu thereof Bank Guarantee from the purchaser under the terms and conditions contained in the Tender Notice No. T.P.(2010)- ……. Dated ……………..…… (hereinafter called the Tender Notice) and the General/other terms and conditions of tender and instructions for Tenderers contained in Annexure-I of Tender notice and the purchaser's agreement dated …………….. executed in accordance with condition 7 of the Tender Notice (hereinafter called Purchaser's agreement) for payment of the purchase price by him in instalments in accordance with and for fulfilment of the terms and conditions contained in the said Tender Notice and the said Purchaser's Agreement.

We ……………………………………. (hereinafter referred to as Bank which expression
(indicate the name of Bank)
shall, where the context so admits, include their successors and assignees), at the request of the said purchaser do hereby undertake to pay to the Managing Director, District Forest Produce Co-operative Union Ltd. and Divisional Forest Officer ……………………………….. Division (hereinafter called Managing Director, Union) an amount not exceeding Rs. (in figures) …………………… Rs. (in words) ……………………………………………………………… . only against the purchase price of lot(s) purchased by the purchaser and any loss or damage caused to or suffered or, would be caused to or suffered by the Federation by reason of any breach by the said purchaser of any of the terms and conditions contained in the said Tender Notice, Purchaser's Agreement or by reason of purchaser's failure to perform the said purchaser's agreement or non observance of any condition of tender notice.

2. We ………………………………….. do hereby undertake to pay the amounts due and
(indicate the name of Bank)
payable under this guarantee without any demur and merely on a demand from the Managing Director, District Union stating that the amount claimed is due by way of purchase price of the lot(s) purchased by the purchaser and /or loss or damage caused to or would be caused to or suffered by the Federation by reason of breach by the said purchaser of any of the terms or conditions contained in the said Tender Notice/Purchaser's Agreement or by reason of purchaser's failure to perform the said Purchaser's Agreement or non observance of any conditions of Tender Notice. Any such demand made on the Bank shall be conclusive as regards the amount due and shall be payable by the Bank under this guarantee. However, our liability under this guarantee shall be restricted to an amount not exceeding Rs. (in figures) …………………. Rs. (in words)……………………..…………. only.

3. We …………………………………… undertake to pay to the Managing Director any
(indicate the name of Bank)
money so demanded notwithstanding any dispute or disputes raised by the the purchaser in any suit or proceeding pending before any Court or Tribunal relating thereto, our liability under this present guarantee being absolute and unequivocal. The payment so made by us under this bond shall be a valid discharge of our liability for payment thereunder and the purchaser shall have no claim against us for making such payment.

4. We ……………………………………… further agree that the Guarantee herein
(indicate the name of Bank)

contained shall remain in full force and effect during the period that would be taken for the performance of the said Purchase's Agreement and observance of terms and conditions of Tender Notice and that it shall continue to be enforceable till all the dues of the Federation under or by virtue of the conditions of the said Tender Notice/Purchaser's Agreement have been fully paid and its claims satisfied or discharged or till the Managing Director certifies that the terms and conditions of the said Tender Notice/Purchaser's Agreement executed by the said purchaser in favour of the Conservator of Forests …………………………………………… circle have been fully and properly carried out by the Purchaser and accordingly discharges this guarantee. Unless demand or claim under this guarantee is made on us in writing on or before ………………………….. (date)……………………….. (month) …………………………. (year), we shall be discharged from all liability under this guarantee thereafter.

5. We ……………………………………………..… further agree with the Federation/
(indicate the name of Bank)
Conservator of Forests ……………………………………….. circle/Managing Director Federation/Conservator of Forests …………………………………… circle/Managing Director Union shall have the fullest liberty without our consent and without affecting in any manner our obligation hereunder to vary any of the terms and conditions of the said Tender Notice/Purchase's Agreement executed by the purchaser or to extend time for performance by the said purchaser from time to time or to postpone for any time or from time to time exercise of any power exercisable by the Federation/Conservator of Forests ………………………………………….. Circle/Managing Director Union against the said purchaser and to forebear to enforce any of the terms and conditions relating to the said Tender Notice/Purchaser's agreement, and we shall not be relieved from our liability by reason of any such variation, or extension being granted to the said purchaser or for any forbearance act or omission on the part of the Federation/Conservator of Forest ………………………………………………….. Circle/Managing Director, Union or any indulgence shown by the Federation/Conservator of Forest ………………………………………. Circle/Managing Director, Union to the said purchaser of any such matter or thing whatsoever which under the law relating to sureties would, but for this provision, have effected of so relieving us.

6. This guarantee will not be discharged due to the change in the constitution of the Bank or the said purchaser.

7. We, …………………………………………………… lastly undertake not to revoke
(indicate the name of Bank)
this guarantee during its currency except with the previous consent of the Federation/Conservator of Forest …………………………………… Circle/Managing Director, Union in writing.
Dated the ……………………. Day of……………………………. (month) ………………….(Year)

Seal of the Bank

(Signature of the Authority
Issuing Bank Guarantee)
(Indicate the name of Bank)
Name
……………………………….
Designation
………………………..
(Seal of Bank)

N.B.: Simultaneously with the issuing of this Bank gurantee the Bank has sent separately vide Register A.D. letter No. ……………………………….. dated …………………………. intimation to the Managing Director, District Forest Produce Co-operatve Union Ltd. And Division forest officer …………………………… Division in the form prescribed (sample form enclosed with tender notice) by the Federation that this Bank Gurantee be treated as genuine, for the purpose of the purchaser's agreement

(Signature of the Authority
Issuing Bank Guarantee)
(Indicate the name of Bank)
Name
……………………………….
Designation
………………………..
(Seal of Bank)

REGISTERED A.D.

Sample form enclosed with Annexure-V of Tender Notice

Office of the Branch Manager
……………………………….. Branch
…………………….…………..Bank
………………………….…..(Floor)
………………………………..(Place)
………………………………..(District)
………………………………..(State)

To,

The Managing Director
District Forest Co-operative Union Ltd. ……………………………….. and
Divisional Forest Officer,
……………………………….. Division
……………………………….. Chhattisgarh.

Sub:- Issue of Bank guarantee in your favour on account of

M/S/Shri ……………………………..……….………. S/o ……………………………………… of (Village) ………………… (Police Station) …………………………….. (Post office) ……………………… (District) ………………………………. (State) ………………………………… for Rs…………………….. (Rupees ……………………………………………………………………… only).

Dear Sir,

I beg to inform you that a Bank Gurantee bearing No ………………………….. dated …………….... for Rs. …………………….. (Rupees ………………………………………… only), has been issued by this Bank, in your favour on account of M/s/Shri …………………………………..…………….. Son of ………………………………………… of ………………………….. (village) ……………………………….. (Police Station) …………….…….. (Post Office)……………………..(District) …………………………of ……………………………….. (State) ……………………………….……………………. for the purpose of guaranteeing the payment of purchase price of Tendu leaves lot(s) purchased by the said M/s/Shri ………………………………………

2. The aforesaid Bank Gurantee has been issued as required under the terms and conditions of the Tender Notice issued vide Notification No. …………………………………… dated ……………………….. by the Chhattisgarh State Minor Forest Produce (Trading & Development) Co-operative Federation and the purchaser's agreement dated ……………………………. executed in accordance with condition No. 7 of the Tender Notice and shall be valid upto ……………………… (date) ……………………………….. (month) ………………………………………….. (year).

3. The Bank Gurantee has been drawn in the proforma prescribed by the Federation in the said tender notice and bears the official seal of the Bank. It has been signed by the issuing authority of the Bank.

Thanking you,

Yours faithfully

Dated: (Signature of Branch Manager)

(Seal of Bank)

परिशिष्ट - VI

अधिसूचना क्रमांक ते.प.(2010)-I दिनांक 01.12.2009

जिला यूनियनवार बैंक ड्राफ्ट भुगतान हेतु देय स्थान

क्रमांक	जिला यूनियन का नाम	जहॉ बैंकड्राफ्ट भुगतान हेतु देय होगा
1	2	3
1	बीजापुर	बीजापुर
2	सुकमा	सुकमा
3	दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा
4	जगदलपुर	जगदलपुर
5	दक्षिण कोण्डागांव	कोण्डागांव
6	उत्तर कोण्डागांव	कोण्डागांव
7	नारायणपुर	नारायणपुर
8	पूर्व भानुप्रतापपुर	भानुप्रतापपुर
9	पश्चिम भानुप्रतापपुर	भानुप्रतापपुर
10	कांकेर	कांकेर
11	राजनांदगांव	राजनांदगांव
12	खैरागढ़	खैरागढ़
13	दुर्ग	दुर्ग
14	कवर्धा	कवर्धा
15	धमतरी	धमतरी
16	उदन्ती	गरियाबंद
17	पूर्व रायपुर	रायपुर
18	महासमुन्द	महासमुन्द
19	रायपुर	रायपुर
20	बिलासपुर	बिलासपुर
21	मरवाही	पेण्ड्रारोड़
22	जांजगीर-चांपा	चांपा
23	रायगढ़	रायगढ़
24	धर्मजयगढ़	धर्मजयगढ़
25	कोरबा	कोरबा
26	कटघोरा	दर्री
27	जशपुर नगर	जशपुर नगर
28	मनेन्द्रगढ़	मनेन्द्रगढ़
29	कोरिया	बैकुण्ठपुर
30	दक्षिण सरगुजा	अम्बिकापुर
31	पूर्व सरगुजा	अम्बिकापुर
32	उत्तर सरगुजा	अम्बिकापुर

परिशिष्ट- VII

(निविदा सूचना क्रमांक ते.प.(2010)- I दिनांक 01.12.2009 का परिशिष्ट)

गोदाम किराये का त्रि-पक्षीय करारनामा

[क्रेता का करारनामा की शर्त क्रमांक 6(ख)]

यह करार आज दिनांक ....माह..................सन्..................को प्रथम पक्ष प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित..............., (जहां संदर्भ में ऐसा ग्राहय हो, उनके कार्यालयीन उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे) तथा द्वितीय पक्ष के श्री...................................... ....आत्मज ....निवासी................................ ग्राम.............और जो (1) श्री..(2) श्री ....(3) श्री .... के साथ ....स्थित कम्पनी, जिसका नाम ....है तथा जो इंडियन कंपनी एक्ट, 1913 (7-1913), कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 1) के अधीन पंजीकृत है तथा जिसका पंजीकृत कार्यालय ....में स्थित है, के साथ भागीदारी में कारोबार कर रहे हैं, जो इसमें इसके पश्चात् क्रेता के नाम से विनिर्दिष्ट है (जिस अभिव्यक्ति में, जब तक संदर्भ में इस प्रकार ग्राहय न हो, उसके दायद, उत्तराधिकारी, निष्पादक और उनके उत्तरजीवी, अंतिम उत्तरजीवियों के दायद, निष्पादक तथा प्रशासक उक्त कंपनी का तत्कालीन भागीदार, उसके उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे) के बीच किया जाता है (उन शब्दों को काट दिया जाए जो लागू न हो), तथा तृतीय पक्ष के श्री...आत्मज ....निवासी...............................ग्राम.............और जो (1) श्री.............................. ....(2) श्री ....(3) श्री .... के साथ ....स्थित कम्पनी, जिसका नाम ....है तथा जो इंडियन कंपनी एक्ट, 1913 (7-1913), कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 1) के अधीन पंजीकृत है तथा जिसका पंजीकृत कार्यालय ....में स्थित है, के साथ भागीदारी में कारोबार कर रहे हैं, जो इसमें इसके पश्चात् गोदाम मालिक के नाम से विनिर्दिष्ट है (जिस अभिव्यक्ति में, जब तक संदर्भ में इस प्रकार ग्राहय न हो, उसके दायद, उत्तराधिकारी, निष्पादक और उनके उत्तरजीवी, अंतिम उत्तरजीवियों के दायद, निष्पादक तथा प्रशासक उक्त कंपनी का तत्कालीन भागीदार, उसके उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे) के बीच किया जाता है (उन शब्दों को काट दिया जाए जो लागू न हो)

चूँकि क्रेता, क्रेता करारनामा (परिशिष्ट- IV) की शर्त क्रमांक- 6 (ख) में दर्शाये अनुसार क्रेता के द्वारा संग्रहण वर्ष............ के लाट क्रमांक............ की देय राशि को किश्तों में पटाने की सुविधा प्राप्त करने की दृष्टि से पत्ते को तृतीय पक्षकार के ......स्थित गोदाम में क्रेता एवं संघ के दोहरे ताले में रखने के लिये इच्छा व्यक्ति की है, तृतीय पक्षकार द्वारा गोदाम के स्वामित्व के प्रमाण के रूप में (अभिलेख का नाम) प्रस्तुत किया गया है तथा गोदाम द्वितीय पक्षकार को तेन्दूपत्ता रखने के लिये किराये पर देने पर सहमति दी है तथा जिला यूनियन के प्रबंध संचालक द्वारा पत्ते को इस गोदाम में रखने की अनुमति प्रदान की गई है ।

अब यह प्रलेख निम्नलिखित बातों का साक्षी है और संबंधित पक्ष एतद् द्वारा निम्नलिखित रूप से परस्पर करार करते हैं :-

1. क्रेता करारनामा की अवधि-

यह करार दिनांक 01.05.2010 से प्रारम्भ होगा और जिस त्रैमास तक लाट का पूर्ण पत्ता गोदाम से क्रेता (अन्य क्रेता सहित) के द्वारा निकाल नहीं लिया जाता या दिनांक 31.12.2011 में जो भी पूर्व हो तक प्रवृत्त रहेगा । त्रैमास से तात्पर्य जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर तथा अक्टूबर से दिसंबर है ।

2. करारनामे के भाग -

इस करार के संबंध में यही और सदैव यही समझा जावेगा कि वह छत्तीसगढ़ तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 के, और उसके अधीन बनाये गये नियमों के, और उक्त अधिनियम तथा नियमों के अधीन समय-समय पर जारी किए गए आदेशों तथा अधिसूचनाओं तथा इस निविदा सूचना के निबंधन तथा शर्तों के तथा इस निविदा सूचना के समस्त परिशिष्ट इस करार के भाग होंगे, और इसके भाग बन गये समझे जावेंगे, और जिनका अर्थ लगाया जायेगा कि इस प्रलेख में विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित है, उपबंधों के अध्यधीन है ।

3. यह कि उक्त लाट के तेन्दूपत्ते के भण्डारण हेतु द्वितीय पक्षकार तृतीय पक्षकार को रूपये (अंको में) .... (शब्दों में)................ का त्रैमासिक किराया प्रत्येक त्रैमास से पूर्व राशि प्राप्ति रसीद प्राप्त कर अग्रिम में भुगतान करेगा तथा इसके उपरान्त ही तेन्दूपत्ते की गोदाम से निकासी कर सकेगा । जून 2010 तक का गोदाम किराया द्वितीय पक्षकार द्वारा रूपये (अंको में)................... (शब्दों में) .... अग्रिम में तृतीय पक्षकार को भुगतान कर दिया गया है । गोदाम किराये के भुगतान का कोई दायित्व प्रथम पक्षकार का नहीं होगा ।

4. यह कि यदि पक्षकार क्रमांक-2 को विक्रित उक्त लाट का क्रेता करारनामा वन संरक्षक के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है, तो भंण्डारित तेन्दूपत्ता पूर्णतया प्रथम पक्ष के अधिकार में आ जायेगा और इस पर द्वितीय पक्ष के सभी अधिकार समाप्त हो जावेगें । भण्डारित तेन्दूपत्ते का स्वामित्व लघु वनोपज संघ/शासन के पास होने के उपरांत भी जब तक कि गोदाम में भण्डारित तेन्दूपत्ते का विक्रय किसी अन्य क्रेता को नहीं कर दिया जाता तथा अन्य क्रेता के द्वारा गोदाम से पूर्ण तेन्दूपत्ता निकाल नहीं लिया जाता, तब तक किराये की राशि का भुगतान द्वितीय पक्षकार तृतीय पक्षकार को अनिवार्य रूप से करता रहेगा तथा पक्षकार क्रमांक-1 का अथवा उक्त लाट के अन्य क्रेता का गोदाम किराये के भुगतान का कोई दायित्व नहीं होगा । अन्य क्रेता के नियुक्त होने पर गोदाम खाली होने पर गोदाम के रिक्त होने की सूचना प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को दी जावेगी ।

5. यह कि पक्षकार क्रमांक-3 द्वारा गोदाम में भण्डारित तेन्दूपत्ते के भण्डारण एवं निकासी से किसी प्रकार का संबंध नहीं रहेगा । अन्य क्रेता नियुक्त होने की स्थिति में किराये के भुगतान में द्वितीय तथा तृतीय पक्षकारों में विवाद होने पर भी या तीनों पक्षकारों में किसी अन्य विवाद के होने पर द्वितीय तथा तृतीय पक्षकार अन्य क्रेता या प्रथम पक्षकार के साथ गोदाम में भण्डारित पत्ते पर नियंत्रण अथवा पत्ते की निकासी में भी कोई विवाद/व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे । तृतीय पक्षकार द्वारा प्रथम एवं द्वितीय पक्षकार को तथा अन्य क्रेता को गोदाम तक पहुंचने की निर्बाध सुविधा प्रत्येक दिवस प्रातः 5.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक उपलब्ध कराई जावेगी, भले ही गोदाम तृतीय पक्षकार के किसी ऐसे परिसर में स्थित हों, जिसको कि तृतीय पक्षकार द्वारा अन्य ताले से बंद किये जाने से इस गोदाम तक पहुंचना संभव नहीं होता है ।

6. यदि द्वितीय एवं तृतीय पक्षकार द्वारा इस कारारनामें की किसी शर्त (शर्त क्रमांक-7 सहित) का उल्लंघन किया जाता है, तो किसी अन्य वैधानिक कार्यवाही पर विपरीत प्रभाव डाले बिना प्रथम पक्षकार द्वारा रूपये 50000/- तक की शास्ति प्रति उल्लंघन अधिरोपित की जा सकेगी तथा बारंबार अथवा गंभीर उल्लंघन की स्थिति में प्रथम पक्ष द्वारा यह करारनामा समाप्त भी किया जा सकेगा एवं ऐसी समाप्ति की दशा में प्रथम पक्ष भण्डारित तेन्दूपत्ता की पूर्ण अवशेष मात्रा को अपने अधिपत्य में ले सकेगा एवं कहीं भी परिवहन/भण्डारण कर सकेगा । शास्ति अधिरोपित तथा करारनामा समाप्ति पर द्वितीय/तृतीय पक्षकार का नाम 5 वर्ष तक की कालावधि के लिये काली सूची में भी दर्ज किया जा सकेगा । द्वितीय/तृतीय पक्षकार को काली सूची में दर्ज किये जाने के उपरांत छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ उससे किसी प्रकार का व्यापारिक या अन्य सव्यवहार नहीं करेगा । शास्ति अधिरोपित/करारनामा समाप्त/काली सूची में दर्ज किये जाने से पूर्व प्रथम पक्षकार कारण बताओ सूचना जारी करने की तिथि से 10 दिवस की अवधि द्वितीय/ तृतीय पक्षकार को प्रस्तुत करने के लिए प्रदाय करेगा । करारनामें की किसी शर्त का उल्लंघन हुआ है अथवा नहीं, के सम्बंध में प्रथम पक्षकार का निर्णय अंतिम तथा द्वितीय तथा तृतीय पक्षकार पर बंधनकारी होगा ।

7. कंडिका-6 के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी होने के उपरान्त द्वितीय/तृतीय पक्षकार जब तक कारण बताओ सूचना पत्र का निर्णय नहीं हो जाता तथा शास्ति प्रथम पक्षकार को भुगतान नहीं कर दी जाती तब तक द्वितीय/तृतीय पक्षकार अपनी किसी अचल सम्पत्ति का विक्रय नहीं कर सकेगें ।

8. यदि कंडिका-6 में अधिरोपित शास्ति प्रथम पक्षकार के द्वारा नोटिस जारी करने की तिथि से 21 दिवस के भीतर जमा नहीं की जाती है, तो प्रथम पक्षकार यह राशि द्वितीय/तृतीय पक्षकार की संघ/वन विभाग के पास उपलब्ध किसी राशि या वनोपज के विक्रय से या राजस्व के बकाया की भांति वसूली कर सकेगा ।

9. इस करार के अधीन उद्भूत होने वाले सभी विवाद छत्तीसगढ़ राज्य के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अध्यधीन होंगे ।

10. निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के द्वारा हस्ताक्षर किये गये, सील लगाई गई और द्वितीय पक्षकार एवं तृतीय पक्षकार को परिदत्त किया गया :-

<u>साक्षीगण :-</u>

1. ....
(हस्ताक्षर)

नाम एवं डाक का पूरा पता

2. ....
(हस्ताक्षर)

प्रबंध संचालक, जिला यूनियन................

नाम एवं डाक का पूरा पता

निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में द्वितीय पक्षकार एवं तृतीय पक्षकार द्वारा हस्ताक्षर किये गये :-

<u>साक्षीगण :-</u>

1. ....
(हस्ताक्षर)

नाम एवं डाक का पूरा पता

2. ....
(हस्ताक्षर)

नाम एवं डाक का पूरा पता

द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर (क्रेता)
नाम..................................
डाक का पता........................

तृतीय पक्षकार के हस्ताक्षर (गोदाम मालिक)
नाम..................................
डाक का पता........................